रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 77] प्रयागराज, शनिवार, 25 फरवरी, 2023 ई० (फाल्गुन 6, 1944 शक संवत्) [संख्या 8

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1– विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	115–122	3075
भाग 1–क– नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	187–240	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	111–122	975
भाग 4– निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	0–0	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		975
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	..	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	107–122	975
स्टोर्स–पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

विधान परिषद् सचिवालय, (उ0प्र0)

(संसदीय अनुभाग)

अधिसूचना

07 सितम्बर, 2022 ई0

सं0 659/वि0प0-02 सं0/2021—उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया का दिनांक 07 सितम्बर, 2022 का निम्न आदेश सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है—

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद-174 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् को सोमवार, दिनांक 19 सितम्बर, 2022 को 11.00 बजे पूर्वाह्न से विधान परिषद् मण्डप, विधान भवन, लखनऊ में उसके वर्ष 2022 के द्वितीय सत्र के लिए आहूत करती हूं।

08 सितम्बर, 2022 ई0

सं0 669/वि0प0-27 सं0/2022—इस सचिवालय के बुलेटिन संख्या-71, दिनांक 22 जुलाई, 2022 के जारी होने के पश्चात् उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987 के नियम-5 के उप नियम (2) के अन्तर्गत विधान परिषद् सदस्य के नाम के आगे अंकित दिनांक तक प्राप्त जानकारी उक्त नियम-5 के उप नियम (3) के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित की जा रही है।

क्र0 सं0	मा0 सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र	स्थायी पता	लखनऊ का पता	सदस्य निर्वाचित होने का दिनांक एवं दल जिसमें उक्त तिथि को सम्बद्ध थे	प्रपत्र-3 पर हस्ताक्षर करने का दिनांक एवं दल जिसमें सम्बद्ध हैं
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती निर्मला पासवान	उत्तर प्रदेश विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	बी-128, सरस्वती बिहार कालोनी, प्रयागराज।	..	05 अगस्त, 2022 भारतीय जनता पार्टी	07 सितम्बर, 2022 भारतीय जनता पार्टी
2	डा0 धर्मेन्द्र सिंह	उत्तर प्रदेश विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	एम0आई0जी0 237, सिद्धार्थ एन्क्लेव, तारा मण्डल, गोरखपुर	..	05 अगस्त, 2022 भारतीय जनता पार्टी	07 सितम्बर, 2022 भारतीय जनता पार्टी

सेवानिवृत्ति

15 दिसम्बर, 2022 ई0

सं0 3160(अधिष्ठान)/वि0प0-267/84—श्री राणा प्रताप सिंह, मार्शल, विधान परिषद् सचिवालय, उत्तर प्रदेश अपनी 60 वर्ष की अनिवर्षता आयु पूर्ण करने के पश्चात् दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो जायेंगे।

20 दिसम्बर, 2022

सं0 3212(1)/वि0प0-07/85 अधि0—उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय में श्री राणा प्रताप सिंह, मार्शल जो सहायक मार्शल के पद पर स्थायी है, को डिप्टी मार्शल के एकल पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-07 (44,900-1,42,400) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय, सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के 33 (4) के अन्तर्गत विधान परिषद् सचिवालय में डिप्टी मार्शल के पद पर की गयी निरन्तर सेवा के दृष्टिगत स्थायीकरण समिति की संस्तुति एवं माननीय सभापति, विधान परिषद् उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार डिप्टी मार्शल के पद पर स्थायी किया जाता है।

23 दिसम्बर, 2022

सं0 3265(1)/वि0प0-56/95 अधि0—उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय में उपमुख्य प्रतिवेदक के पद पर स्थायी श्री नीरज गर्ग को मुख्य प्रतिवेदक के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 (78,800-2,09,200) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय, सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के 33 (4) के अन्तर्गत विधान परिषद् सचिवालय में मुख्य प्रतिवेदक के पद पर की गयी निरन्तर सेवा के दृष्टिगत स्थायीकरण समिति की संस्तुति एवं माननीय सभापति, विधान परिषद् उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार मुख्य प्रतिवेदक के पद पर स्थायी किया जाता है।

सं0 3266(1)/वि0प0-56/95 अधि0—उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय में निजी सचिव श्रेणी-04 के पद पर स्थायी श्री राम शंकर सिंह को प्रधान निजी सचिव के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-13क (1,31,100-2,16,600) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय, सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के 33 (4) के अन्तर्गत विधान परिषद् सचिवालय में प्रधान निजी सचिव के पद पर की गयी निरन्तर सेवा के दृष्टिगत स्थायीकरण समिति की संस्तुति एवं माननीय सभापति, विधान परिषद् उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार प्रधान निजी सचिव के पद पर स्थायी किया जाता है।

सं0 3267(1)/वि0प0-56/95 अधि0—उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय में निजी सचिव श्रेणी-02 के पद पर स्थायी श्री राजेश कुमार को निजी सचिव श्रेणी-3 के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 (78,800-2,09,200) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय, सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के 33 (4) के अन्तर्गत विधान परिषद् सचिवालय में निजी सचिव श्रेणी-3 के पद पर की गयी निरन्तर सेवा के दृष्टिगत स्थायीकरण समिति की संस्तुति एवं माननीय सभापति, विधान परिषद् उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार निजी सचिव श्रेणी-3 के पद पर स्थायी किया जाता है।

सं0 3268(1)/वि0प0-56/95 अधि0—उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय में निजी सचिव श्रेणी-01 के पद पर स्थायी श्री रवि प्रकाश मिश्र को निजी सचिव श्रेणी-02 के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 (67,700-2,08,700) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय, सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के 33 (4) के अन्तर्गत विधान परिषद् सचिवालय में निजी सचिव श्रेणी-02 के पद पर की गयी निरन्तर सेवा के दृष्टिगत स्थायीकरण समिति की संस्तुति एवं माननीय सभापति, विधान परिषद् उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार निजी सचिव श्रेणी-02 के पद पर स्थायी किया जाता है।

सं0 3269(1)/वि0प0-56/95 अधि0—उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय में निजी सचिव श्रेणी-01 के पद पर स्थायी श्री विजय कुमार मेहरोत्रा को निजी सचिव श्रेणी-02 के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 (67,700-2,08,700) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय, सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के 33 (4) के अन्तर्गत विधान परिषद् सचिवालय में निजी सचिव श्रेणी-02 के पद पर की गयी निरन्तर सेवा के दृष्टिगत स्थायीकरण समिति की संस्तुति एवं माननीय सभापति, विधान परिषद् उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार निजी सचिव श्रेणी-02 के पद पर स्थायी किया जाता है।

सं0 3270(1)/वि0प0-56/95 अधि0—उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय में निजी सचिव श्रेणी-01 के पद पर स्थायी श्रीमती सुनीता अग्रवाल को निजी सचिव श्रेणी-02 के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 (67,700-2,08,700) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय, सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के 33 (4) के अन्तर्गत विधान परिषद् सचिवालय में निजी सचिव श्रेणी-02 के पद पर की गयी निरन्तर सेवा के दृष्टिगत स्थायीकरण समिति की संस्तुति एवं माननीय सभापति, विधान परिषद् उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार निजी सचिव श्रेणी-02 के पद पर स्थायी किया जाता है।

सं0 3271(1)/वि0प0-56/95 अधि0—उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय में निजी सचिव श्रेणी-01 के पद पर स्थायी श्री विनय कुमार पाण्डेय को निजी सचिव श्रेणी-02 के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 (67,700-2,08,700) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय, सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के 33 (4) के अन्तर्गत विधान परिषद् सचिवालय में निजी सचिव श्रेणी-02 के पद पर की गयी निरन्तर सेवा के दृष्टिगत स्थायीकरण समिति की संस्तुति एवं माननीय सभापति, विधान परिषद् उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार निजी सचिव श्रेणी-02 के पद पर स्थायी किया जाता है।

सं0 3272(1)/वि0प0-56/95 अधि0—उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय में अपर निजी सचिव के पद पर स्थायी श्री कपिल कुमार श्रीवास्तव को निजी सचिव श्रेणी-01 के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (56,100-1,77,500) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय, सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के 33 (4) के अन्तर्गत विधान परिषद् सचिवालय में निजी सचिव श्रेणी-01 के पद पर की गयी निरन्तर सेवा के दृष्टिगत स्थायीकरण समिति की संस्तुति एवं माननीय सभापति, विधान परिषद् उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार निजी सचिव श्रेणी-01 के पद पर स्थायी किया जाता है।

उक्त स्थायीकरण इस सचिवालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या-1857, वि0प0-01/2002, अधि0, दिनांक 29 सितम्बर, 2016 से पूर्णतयः अच्छादित होगा।

सं0 3273(1)/वि0प0-56/95 अधि0—उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय में अपर निजी सचिव के पद पर स्थायी श्री राकेश बहादुर सिंह को निजी सचिव श्रेणी-01 के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (56,100-1,77,500) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय, सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के 33 (4) के अन्तर्गत विधान परिषद् सचिवालय में निजी सचिव श्रेणी-01 के पद पर की गयी निरन्तर सेवा के दृष्टिगत स्थायीकरण समिति की संस्तुति एवं माननीय सभापति, विधान परिषद् उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार निजी सचिव श्रेणी-01 के पद पर स्थायी किया जाता है।

उक्त स्थायीकरण इस सचिवालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या.1857, वि0प0.01/2002, अधि0, दिनांक 29 सितम्बर, 2016 से पूर्णतयः अच्छादित होगा।

आज्ञा से,
डा0 राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।

विधान सभा सचिवालय, (उ0प्र0)

(अधिष्ठान अनुभाग)

02 जनवरी, 2023 ई0

सं0 04B/(1-8)/वि0स0/अधि0/6/97 टी0सी0—विज्ञप्ति/प्रकीर्ण संख्या-02/वि0स0/अधि0/17/87 दिनांक 02 जनवरी, 2023 द्वारा श्री सुनील कुमार सिंह, उप सचिव के दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 को अपराह्न से सेवानिवृत्ति हो जाने के फलस्वरूप रिक्त उपसचिव के पद तथा उसकी श्रंखला में अनुसचिव, अनुभाग अधिकारी के पद पर निम्नलिखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित पद एवं वेतनमान में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया जाता है—

क्र0सं0	नाम एवं पदनाम	पदोन्नति का पद	सातवें वेतन आयोग द्वारा पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल
1	2	3	4
1	श्री अजीत कुमार वर्मा, अनुसचिव	उप सचिव	12
2	श्रीमती मीना पंडलिया अनुभाग अधिकारी	अनुसचिव	11
3	श्री अमित पाण्डेय समीक्षा अधिकारी	अनुभाग अधिकारी	10

2—उक्त पदोन्नतियां वैभागिक आदेश संख्या-391/वि0स0/अधि0/105/88 टी0सी0 दिनांक 09 मार्च, 2022 द्वारा प्रसारित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के सापेक्ष प्रख्यापित की जाने वाली अन्तिम ज्येष्ठता सूची के अधीन परिवर्तनीय तथा प्रभावी होंगी।

सं0 04A/(1-8)/वि0स0/अधि0/6/97 टी0सी0—विज्ञप्ति/प्रकीर्ण संख्या-01/वि0स0/अधि0/31/87 दिनांक 02 जनवरी, 2023 द्वारा श्री विजय प्रकाश सिंह, संयुक्त सचिव के दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 को अपराह्न से सेवानिवृत्ति हो जाने के फलस्वरूप रिक्त संयुक्त सचिव के पद तथा उसकी श्रंखला में उपसचिव, अनुसचिव, अनुभाग अधिकारी के पद पर निम्नलिखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित पद एवं वेतनमान में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया जाता है—

क्र0सं0	नाम एवं पदनाम	पदोन्नति का पद	सातवें वेतन आयोग द्वारा पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल
1	2	3	4
1	श्री शरद शुक्ला, उपसचिव	संयुक्त सचिव	13
2	श्रीमती मंजू जायसवाल, अनुसचिव	उपसचिव	12
3	श्रीमती राधा भटनागर अनुभाग अधिकारी	अनुसचिव	11
4	सुश्री रुचि मल्होत्रा समीक्षा अधिकारी	अनुभाग अधिकारी	10

2—उक्त पदोन्नतियां वैभागिक आदेश संख्या-391/वि0स0/अधि0/105/88 टी0सी0 दिनांक 09 मार्च, 2022 द्वारा प्रसारित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के सापेक्ष प्रख्यापित की जाने वाली अन्तिम ज्येष्ठता सूची के अधीन परिवर्तनीय तथा प्रभावी होंगी।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

वित्त (सेवायें)

अनुभाग-2

नियुक्ति

03 दिसम्बर, 2022 ई0

सं0 42/2022/एस-2-I/243434/दस-2022-41/2021—सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2017 के चयन के परिणाम के आधार पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा चयनित एवं नियुक्ति हेतु संस्तुत निम्नलिखित अभ्यर्थी को सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह 'ख' में वेतन बैण्ड-3 रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 5,400/—(लेबिल-10) में कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुये प्रशिक्षण हेतु निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से सम्बद्ध करने के श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करती हैं—

क्र0सं0	नाम/पिता का नाम	पता
1	2	3
1	श्री अरूण कुमार राणा पुत्र श्री जगत सिंह राणा	निवासी-36, आर0के0पुरम, कल्याणपुर, लखनऊ पिन कोड-226022

(1) उक्त अभ्यर्थी आदेश प्राप्ति के दिनांक से एक माह के अन्दर अपनी योगदान आख्या निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर निम्नलिखित सूचनार्थ/प्रमाण-पत्र 02 प्रतियों में प्रस्तुत करेंगे—

(क) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवा के संबंध में घोषणा।

(ख) अपने कर्जदार न होने की घोषणा।

(ग) एक से अधिक पति/पत्नी न होने की घोषणा।

(घ) दहेज न लिये जाने विषयक प्रमाण-पत्र।

(ङ) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा, जिसके वे स्थाई सदस्य हों।

(च) निर्धारित प्रपत्र में अपने निजी विवरण।

(छ) राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

(ज) राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

(झ) इण्डियन आफिसियल सिक्रेट्स एक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के संबंध में घोषणा।

(2) निदेशक, कोषागार उक्त अभ्यर्थियों की योगदान आख्या स्वीकार करने के पूर्व समस्त विधिक औपचारिकताओं एवं प्रक्रिया को पूर्ण कर लेंगे तथा योगदान आख्या की प्रति उ0 प्र0 शासन को भी उपलब्ध करायेंगे एवं संबंधित अधिकारी को तत्काल प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करेंगे।

(3) उक्त नियुक्ति इस शर्त के अधीन होंगी कि यदि पुलिस सत्यापन रिपोर्ट/विभाग से प्राप्त कार्य एवं आचरण रिपोर्ट/स्वास्थ्य परीक्षण में कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो इनकी नियुक्ति/अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

(4) यदि उक्त निर्धारित अवधि में वह कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित नहीं होते हैं और उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने हेतु समय बढ़ाये जाने का कोई प्रार्थना-पत्र उक्त अवधि के अन्दर शासन को प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो यह माना जायेगा कि वे कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं है और उनका अभ्यर्थन नियमानुसार निरस्त कर दिया जायेगा, किन्तु यदि उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने हेतु समय बढ़ाये जाने का कोई आवेदन-पत्र, समुचित कारणों का उल्लेख करते हुए समयान्तर्गत दिया जाता है, तो उन्हें कार्यभार ग्रहण करने हेतु अपरिहार्य परिस्थितियों में 01 माह तक और बढ़ाये जाने पर विचार किया जा सकता है, परन्तु यदि इसके बावजूद भी उनके द्वारा उक्त बढ़ायी गयी अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो उनका अभ्यर्थन स्वयमेव समाप्त हो जायेगा।

(5) उक्त अभ्यर्थियों को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 के नियम-24(1) सपठित सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के नियम-4(1) में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा तथा परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर संगत नियमावली की व्यवस्थानुसार स्थायीकरण किया जायेगा। वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ ज्येष्ठता का निर्धारण सुसंगत नियमों के अनुसार बाद में किया जायेगा।

(6) उक्त अभ्यर्थियों को उपर्युक्त वेतनमान में मिलने वाले वेतनमान के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

(7) पदभार ग्रहण करने के पश्चात् सम्बन्धित अधिकारियों को निदेशक कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ तत्काल आधारभूत कोर्स एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कराने हेतु अपने स्तर से सम्यक् आदेश/निर्देश जारी किये जायेंगे।

(8) सम्बन्धित अधिकारी को प्रशिक्षण की समाप्ति पर प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ली जाने वाली निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। उन्हें यह भली-भांति ध्यान रखना होगा कि यदि वे नियमानुसार तीन अवसर दिये जाने पर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पायेंगे अथवा उनके प्रशिक्षण से अथवा अन्य कारणों से यह ज्ञात हो कि वे नियमित सम्वर्ग में कोषधिकारी/लेखाधिकारी के पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं हैं, तो इस नियुक्ति को एक मास की नोटिस पर या उसके स्थान पर एक मास का वेतन देकर बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जायेगा।

(9) प्रशिक्षण अवधि की सन्तोषजनक समाप्ति पर सम्बन्धित प्रशिक्षणार्थी को उ0 प्र0 वित्त एवं लेखा संवर्ग के अन्तर्गत स्वीकृत पदों का कार्यभार, सौंपा जायेगा। उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा में उनकी सेवा शर्तें उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 (यथासंशोधित) के अनुसार निर्धारित होगी। प्रथम नियुक्ति का कार्यभार सम्भालने हेतु की गयी यात्रा के लिए सम्बन्धित अधिकारी को किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

(10) प्रशिक्षण की अवधि में प्रशिक्षणार्थी के वेतन एवं भत्तों का भुगतान निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा नियमों के अनुसार किया जायेगा।

आज्ञा से,
प्रशान्त द्विवेदी,
अपर मुख्य सचिव।

गोपन विभाग

अनुभाग-1

कार्यालय-ज्ञाप

09 दिसम्बर, 2022 ई0

सं0 1467/22-पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स0(1)–मा0 न्यायमूर्ति श्री अली जामिन, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के, तालिका में उल्लिखित अवधियों के अवकाश की, माननीया राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती हैः–

क्रमांक	अवकाश की अवधि तथा प्रकृति
1	2
1	दिनांक 05.07.2022 से 08.07.2022 तक 04 (चार) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।
2	दिनांक 06.08.2022 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।
3	दिनांक 08.08.2022 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।
4	दिनांक 10.08.2022 से 11.08.2022 तक 02 (दो) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।
5	दिनांक 22.08.2022 से 24.08.2022 तक 03 (तीन) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।

सं0 1468/22-पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स0(1)–मा0 न्यायमूर्ति श्री अंजनी कुमार मिश्र, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का दिनांक 04.07.2022 से 07.07.2022 तक 04 (चार) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश की माननीया राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती हैं।

आज्ञा से,
कृष्ण गोपाल,
विशेष सचिव।

नियुक्ति विभाग

अनुभाग-4

कार्यालय-ज्ञाप

18 नवम्बर, 2022 ई0

सं0 871/दो-4-2022-26/2(5)/2011–संयुक्त निबन्धक, Admin A-1 & A-4, मा0 उच्च नयायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या 12325/IV-2289/Admin (A-1), दिनांक 24 सितम्बर, 2022 एवं पत्र संख्या 13768/IV-3930/Admin. (A-1), दिनांक 31 अक्टूबर, 2022 के क्रम में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के निम्नवत् अधिकारी द्वारा अर्जित की गई एल0एल0एम0 डिग्री/उपाधि को अधोलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों में रखे जाने की शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्र0सं0	न्यायिक अधिकारी का नाम/पदनाम/तैनात स्थल (सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री)	उप निबन्धक (एम0)/संयुक्त निबंधक (एडमिन-1) मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त पत्र संख्या एवं दिनांक	विश्वविद्यालय का नाम	डिग्री/उपाधि	वर्ष
1	2	3	4	5	6
1	श्री सैयद वाइज मियां, से0नि0, जिला जज अमरोहा, सम्प्रति मा0 न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।	12325/IV-2289/Admin. (A-1) दिनांक 24.09.2022	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़।	एल0 एल0 एम0	1988
2	श्री राजकुमार सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदोई।	13768/IV-3930/Admin. (A-1) दिनांक 31.10.2022	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्रम्।	एल0 एल0 एम0	2021

आज्ञा से,
सुनील कुमार,
विशेष सचिव।

पी0एस0यू0पी0–48 हिन्दी गजट–भाग 1–2022 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 25 फरवरी, 2023 ई० (फाल्गुन 6, 1944 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां

कार्यालय, जिलाधिकारी बांदा

09 जनवरी, 2023 ई0

भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की अधिसूचना

सं0 366/आठ-वि0भू0अ0अ0/बांदा–भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा-1 के अन्तर्गत कलेक्टर बांदा की राय है कि जनपद बांदा में बांदा बाईपास (रिंग रोड) के रेल उपरिगामी सेतु 1313/9-1314 के परियोजना के निर्माण हेतु जनपद बांदा की तहसील बांदा के ग्राम-दुरेडी की कुल रकबा-0.84925 हे0 कृषक भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण सम्बन्धी अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत की गयी हैं, जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनांक 28 सितम्बर, 2022 को पृष्ठांकित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण का सारांश इस प्रकार है–

(1) मुख्य सेतु–सम्पार के ऊपर 60.00 मी0 लम्बाई का मुख्य सेतु प्रस्तावित है, मुख्य सेतु के नीचे रेल टाप 6.525 मीटर क्लेअरेंस रखा जाना है।

(2) रेलवे पोर्शन की नीचे रेल लम्बाई 60 मी0 एवं परिगामी सेतु की कुल लम्बाई 606.78 मी0 है, महोबा साइड में स्पान अरेन्जमेन्ट 155.325 मी0 तथा बांदा साइड में स्पान अरेन्जमेंट 155.325 मी0 है।

(3) बाईपास रिंग रोड के निर्माण कार्य पूर्ण होने से शहर को भरी ट्रैफिक से निजात मिल सकेगा।

(4) इस परियोजना के निर्माण के बाद ओरवलोड वाहनों का शहर में प्रवेश निषेध हो जायेगा।

(5) शहर में दो फ्लाई ओवर है। पहला बाबू लाल चौराहा से पीलीकोठी तक कचहरी क्रासिंग पर बनाया गया है जो कि काफी पुराना हो गया है तथा ओवर लोड ट्रक के प्रवेश से यह दोनो सेतु कमजोर हो गये है, जबकि इन दोनो की उम्र 100 वर्ष निर्धारित की गयी है। सेतु के निर्माण से इन दोनो सेतुओं की उम्र बढ जायेगी।

4–भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नही हो रहा है।

5–अतः राज्यपाल जनपद बांदा में बांदा बाईपास (रिंग रोड) के रेल उपरिगामी सेतु 1313/9-1314 के परियोजना के निर्माण हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते है।

अनुसूची

जनपद	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	**2**	**3**	**4**	**5**
				हेक्टेयर
बांदा	बांदा	दुरेड़ी	1402	0.06000
,,	,,	,,	1072	0.00200
,,	,,	,,	1073	0.04800
,,	,,	,,	1074	0.08900
,,	,,	,,	5253/1075	0.06000
,,	,,	,,	1400	0.00200
,,	,,	,,	1412	0.04950
,,	,,	,,	463	0.04125
,,	,,	,,	464 क	0.04800
,,	,,	,,	464 क	0.01125
,,	,,	,,	465	0.00100
,,	,,	,,	465	0.00180
,,	,,	,,	465	0.01940
,,	,,	,,	465	0.01130
,,	,,	,,	465	0.08300
,,	,,	,,	466	0.03300
,,	,,	,,	466	0.04100
,,	,,	,,	466	0.02700
,,	,,	,,	466	0.01200
,,	,,	,,	466	0.07875
,,	,,	,,	467	0.01700
,,	,,	,,	467	0.03200
,,	,,	,,	467	0.01240
,,	,,	,,	467	0.01600
,,	,,	,,	467	0.03600
,,	,,	,,	467	0.01660
			योग ..	**0.84925**

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानिक भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदायी करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएं करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति, जिसका हित भूमि में निहित हो, अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नही कर सकता है।

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कार्यालय कलेक्टर बांदा में देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी,
बांदा।

प्रारूप-19
{नियम 27 का उपनियम (1)}
समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा घोषणा
{अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत}
अधिसूचना
10 फरवरी, 2023 ई0

सं0 396/आठ-वि0भू0अ0अ0/बांदा–चूंकि प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या-81/आठ-वि0भू0अ0अ0/बांदा दिनांक 07 जून, 2022 लोक प्रयोजन, अर्थात उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) लखनऊ के माध्यम से डिफेंस इन्डस्ट्रियल कारीडोर परियोजना के निर्माण हेतु जनपद चित्रकूट की तहसील कर्वी के ग्राम-खुटौरा व बक्टा बुजुर्ग की कुल रकबा-0.648 हे0 भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 {अधिनियम संख्या-30 सन् 2013 (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है।)} की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना दिनांक 07 जून, 2022 को जारी की गयी तथा राजकीय गजट में दिनांक 08 अक्टूबर, 2022 को प्रकाशित की गयी थी।

2–अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त कलेक्टर उक्त अधिनियम की धारा-19 (1) के अन्तर्गत घोषणा करते हैं कि उनका यह समाधान हो गया है कि नीचे अनुसूची ''क'' में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल लोक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची ''ख'' में यथा-प्रदत्त ग्राम, परगना, और जिला में कोई भूमि विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए चिन्हित नही की गयी है। (इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार का विस्थापित होना सम्भाव्य नही है।)

3–कलेक्टर अग्रेतर उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन इस आशय की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशित करने के लिए निर्देश देते हैं। चूंकि जनपद चित्रकूट में डिफेंस इन्डस्ट्रियल कारीडोर परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जन से कोई परिवार विस्थापित न होने के कारण पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु किसी भूमि को चिन्हित करनें और पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन की कोई आवश्यकता नही है।

अनुसूची-''क''
(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित किया जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
चित्रकूट	कर्वी	कर्वी	खुटौरा	20	0.193
				21	0.166
			बक्टा बुजुर्ग	54	0.289
				योग..	**0.648**

अनुसूची–''ख''

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
चित्रकूट	कर्वी	कर्वी	–	–	–

(इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार का विस्थापित होना सम्भाव्य नही है।)

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर चित्रकूट/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी बांदा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी,
चित्रकूट।

Form-19

[sub-rule (1) of Rule 27]

(Declaration By Appropriate Government /Collector)

[Under Sub-Section (1) of Section 19 of the Act]

NOTIFICATION

February 10, 2023

Notification No. 396 /VIII-S.L.A.O./Banda–Since the preliminary Notification No. 81/VIII-S.L.A.O./ Banda Dated: June 07, 2022 public purpose, *i.e.* through the Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority (UPEIDA) Lucknow for the Defence Industrial Corridor project Village-Khutaura and Bakta Bujurga located in Tehsil-Karwi, District-Chitrakoot in related to 0.648 hectares of land in respect of land acquisition, Rehabilitation and Resettlement in respect of the Right to Fair Compensation and Transparency Act 2013 (Act No.-30 of 2013) (hereinafter referred to as the said Act) of section-11 Issued under Sub-section (1) and published in the Official Gazette on October 18, 2022.

2-After considering the report submitted in pursuance of the provision under Sub-section (2) of the Section-15 of the said Act, The Collector declares under-section 19 (1) of the said Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in Schedude ''A'' below is necessary for public purpose and no land in the Village, pargana and District has been identified for Rehabilitation and Resettlement of the displaced families as given in Schedule "B" (No family is likely to be displaced due to land acquisition for this project).

3-The Collector is further instructs to publish the Rehabilitation and Resettlement plan in brief along with publication of announcement to this effect under Sub-section (2) of Section 19 of the said Act. Since land acquisition for Defence Industrial Corridor project in District-Chitrakoot is not likely to displace any family, therefore, there is no need to identify any land for Rehabilitation and Resettlement and publish the summary of the Rehabilitation and Resettlement plan.

SCHEDULE- "A"

(Land Under Proposed Acquisition)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectares
Chitrakoot	Karwi	Karwi	Khutaura	20	0.193
				21	0.166
			Bakta Bujurga	54	0.289
				Total . . **3 kita**	**0.648**

SCHEDULE-"B"

(Land Identified as Settlement Area for Displaced families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area earmarked for rehabilitation (in hect.)
1	2	3	4	5	6
Chitrakoot	Karwi	Karwi	-	-	-

(No family is likely to be displaced due to land acquisition for this project.)

NOTE–A Plan of land may be inspected in the Office of the Collector Chitrakoot/ Special Land acquisition Officer Banda for the purpose of acquisition.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector, Chitrakoot.

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां

(अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

17 जनवरी, 2023 ई0

सं0 1710—भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि उप मुख्य अभियन्ता कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद संतकबीर नगर, तहसील मेंहदावल, परगना बांसी पूरब, ग्राम रेशमपुर में रकबा 1.4684 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2—राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर संतकबीर नगर) को अपनी अनुसंशा प्रस्तुत की गयी है। जिसे कलेक्टर संतकबीर नगर द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3—सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सारांश इस प्रकार है—

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिर्सोस एण्ड टेक्नोलॉजी (सीवार्ट) वसुन्धरा गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत/तहसील स्तर से आंकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास कृषिगत मजदूरी में कमी, चारागाह/खलिहान में कमी प्रदूषण में वृद्धि बताई गयी। वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा, माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गयी है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वभाविक है, किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि अवशेष जोत का उन्नयन, रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुँच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास बेहतर आवास के निर्माण परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है आदि से किसान लाभान्वित होंगे, जिससे कृषि जोत में आयी कमी को पूर्ण किया जा सकता है परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाईन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे—परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत् आदि की सुविधाएँ प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से सम्भावित है कि नई रेल लाईन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से सम्भावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुए आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गयी है।

4—भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थपित नहीं हो रहा है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देती हैं।

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	संतकबीर नगर	मेंहदावल	बांसी पूरब	रेशमपुर	47	0.303
2					46	0.078
3					48	0.020
4					49	0.482
5					55	0.222
6					58	0.041
7					60	0.006
8					59	0.0004
9					61	0.003
10					56	0.008
11					54	0.008
12					63	0.020
13					64	0.062
14					65	0.030
15					66	0.011
16					67	0.005
17					68	0.079
18					69	0.038
19					72	0.049
20					73	0.003
					योग ...	**1.4684**

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानिक भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :– उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा संतकबीर नगर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 1710–भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि उप मुख्य अभियन्ता कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद संतकबीर नगर, तहसील मेंहदावल, परगना बांसी पूरब, ग्राम समदा में रकबा 3.881 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर संतकबीर नगर) को अपनी अनुसंशा प्रस्तुत की गयी है। जिसे कलेक्टर संतकबीर नगर द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सारांश इस प्रकार है–

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिर्सोस एण्ड टेक्नोलॉजी (सीवार्ट) वसुन्धरा गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत/तहसील स्तर से आंकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास कृषिगत मजदूरी में कमी, चारागाह/खलिहान में कमी प्रदूषण में वृद्धि बताई गयी। वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा, माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गयी है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वभाविक है, किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि अवशेष जोत का उन्नयन, रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुँच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास बेहतर आवास के निर्माण परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है आदि से किसान लाभान्वित होंगे, जिससे कृषि जोत में आयी कमी को पूर्ण किया जा सकता है परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाईन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे–परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत् आदि की सुविधाएँ प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से सम्भावित है कि नई रेल लाईन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से सम्भावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुए आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गयी है।

4–भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थपित नहीं हो रहा है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देती हैं।

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	संतकबीर नगर	मेंहदावल	बांसी पूरब	समदा	111	0.015
2					118	0.016
3					117	0.040
4					116	0.047
5					115	0.034
6					112	0.004
7					113	0.008
8					114	0.013
9					119	0.064
10					120	0.049
11					121	0.020
12					122	0.008
13					123	0.002
14					124	0.012
15					271	0.199
16					316	0.020
17					313	0.062
18					314	0.295
19					315	0.380
20					317	0.020
21					318	0.018
22					320	0.367
23					321	0.001
24					322	0.153
25					323	0.076
26					325	0.088
27					324	0.002
28					326	0.163
29					327	0.090
30					328	0.184
31					329	0.005
32					330	0.132
33					331	0.022
34					342	0.004

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
35	संतकबीर नगर	मेंहदावल	बांसी पूरब	समदा	343	0.027
36					344	0.015
37					346	0.309
38					347	0.239
39					352	0.168
40					353	0.063
41					354	0.012
42					355	0.034
43					356	0.010
44					357	0.380
45					358	0.011
					योग ...	**3.881**

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानिक भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :– उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा संतकबीर नगर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 1710–भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि उप मुख्य अभियन्ता कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद संतकबीर नगर, तहसील मेंहदावल, परगना बांसी पूरब, ग्राम टडवा में रकबा 4.643 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर संतकबीर नगर) को अपनी अनुसंशा प्रस्तुत की गयी है। जिसे कलेक्टर संतकबीर नगर द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सारांश इस प्रकार है–

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिर्सोस एण्ड टेक्नोलॉजी (सीवार्ट) वसुन्धरा गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत/तहसील स्तर से आंकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना

के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास कृषिगत मजदूरी में कमी, चारागाह/खलिहान में कमी प्रदूषण में वृद्धि बताई गयी। वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा, माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गयी है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वभाविक है, किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि अवशेष जोत का उन्नयन, रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुँच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास बेहतर आवास के निर्माण परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है आदि से किसान लाभान्वित होंगे, जिससे कृषि जोत में आयी कमी को पूर्ण किया जा सकता है परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाईन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे–परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत् आदि की सुविधाएँ प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से सम्भावित है कि नई रेल लाईन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से सम्भावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुए आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गयी है।

4–भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थपित नहीं हो रहा है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देती हैं।

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	संतकबीर नगर	मेंहदावल	बांसी पूरब	टडवा	66	0.035
2					65	0.004
3					67	0.035
4					68	0.185
5					64	0.209
6					69	1.257
7					74	0.230
8					86	0.072
9					87	0.001
10					83	2.066
11					79	0.009

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
12	संतकबीर नगर	मेंहदावल	बांसी पूरब	टडवा	80	0.094
13					81	0.095
14					82	0.132
15					102	0.016
16					103	0.155
17					76	0.048
					योग ...	**4.643**

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानिक भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :– उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा संतकबीर नगर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 1710–भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि उप मुख्य अभियन्ता कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद संतकबीर नगर, तहसील मेंहदावल, परगना बांसी पूरब, ग्राम सिधौना में रकबा 4.043 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर संतकबीर नगर) को अपनी अनुसंशा प्रस्तुत की गयी है। जिसे कलेक्टर संतकबीर नगर द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सारांश इस प्रकार है–

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिर्सोस एण्ड टेक्नोलॉजी (सीवार्ट) वसुन्धरा गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत/तहसील स्तर से आंकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास कृषिगत मजदूरी में कमी, चारागाह/खलिहान में कमी प्रदूषण में वृद्धि बताई गयी। वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा, माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गयी है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वभाविक है, किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि अवशेष जोत का उन्नयन, रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुँच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास बेहतर आवास के निर्माण परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है आदि से किसान लाभान्वित होंगे, जिससे कृषि जोत में आयी कमी को पूर्ण किया जा सकता है परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाईन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे–परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत् आदि की सुविधाएँ प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से सम्भावित है कि नई रेल लाईन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से सम्भावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुए आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गयी है।

4–भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थपित नहीं हो रहा है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देती हैं।

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	संतकबीर नगर	मेंहदावल	बांसी पूरब	सिधौना	2	1.464
2					3	0.046
3					4	0.331
4					5	1.440
5					35	0.621
6					36	0.030
7					39	0.111
					योग ...	**4.043**

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानिक भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :– उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा संतकबीर नगर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 1710–भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि उप मुख्य अभियन्ता कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद संतकबीर नगर, तहसील मेंहदावल, परगना बांसी पूरब, ग्राम तरैना में रकबा 2.468 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर संतकबीर नगर) को अपनी अनुसंशा प्रस्तुत की गयी है। जिसे कलेक्टर संतकबीर नगर द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सारांश इस प्रकार है–

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिर्सोस एण्ड टेक्नोलॉजी (सीवार्ट) वसुन्धरा गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत/तहसील स्तर से आंकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास कृषिगत मजदूरी में कमी, चारागाह/खलिहान में कमी प्रदूषण में वृद्धि बताई गयी। वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा, माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गयी है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वभाविक है, किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि अवशेष जोत का उन्नयन, रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुँच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास बेहतर आवास के निर्माण परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है आदि से किसान लाभान्वित होंगे, जिससे कृषि जोत में आयी कमी को पूर्ण किया जा सकता है परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाईन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे–परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत् आदि की सुविधाएँ प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से सम्भावित है कि नई रेल लाईन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से सम्भावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुए आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गयी है।

4–भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थपित नहीं हो रहा है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देती हैं।

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	संतकबीर नगर	मेंहदावल	बांसी पूरब	तरैना	45	0.028
2					182	0.011
3					184	0.132
4					183	0.098
5					185	0.141
6					186	0.064
7					181	0.100
8					180	0.011
9					179	0.013
10					190	0.379
11					191	0.019
12					178	0.021
13					176	0.113
14					175	0.124
15					166	0.004
16					167	0.077
17					168	0.172
18					169	0.034
19					163	0.414
20					158	0.021
21					159	0.460
22					160	0.019
23					213	0.007
24					214	0.006
					योग ...	**2.468**

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानिक भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :– उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा संतकबीर नगर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 1710–भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि उप मुख्य अभियन्ता कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद संतकबीर नगर, तहसील मेंहदावल, परगना बांसी पूरब, ग्राम अमथरी में रकबा 2.5291 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर संतकबीर नगर) को अपनी अनुसंशा प्रस्तुत की गयी है। जिसे कलेक्टर संतकबीर नगर द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सारांश इस प्रकार है–

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिर्सोस एण्ड टेक्नोलॉजी (सीवार्ट) वसुन्धरा गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत/तहसील स्तर से आंकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास कृषिगत मजदूरी में कमी, चारागाह/खलिहान में कमी प्रदूषण में वृद्धि बताई गयी। वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा, माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गयी है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वभाविक है, किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि अवशेष जोत का उन्नयन, रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुँच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास बेहतर आवास के निर्माण परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है आदि से किसान लाभान्वित होंगे, जिससे कृषि जोत में आयी कमी को पूर्ण किया जा सकता है परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाईन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे–परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत् आदि की सुविधाएँ प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से सम्भावित है कि नई रेल लाईन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से सम्भावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुए आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गयी है।

4–भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थपित नहीं हो रहा है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देती हैं।

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	संतकबीर नगर	मेंहदावल	बांसी पूरब	अमथरी	41	0.061
2					42	0.033
3					44	0.095
4					78	0.035
5					76	0.016
6					79	0.053
7					80	0.231
8					85	0.200
9					86	0.413
10					90	0.178
11					92	0.027
12					97	0.039
13					98	0.036
14					99	0.0001
15					100	0.462
16					111	0.381
17					110	0.025
18					104	0.116
19					102	0.031
20					101	0.085
21					103	0.012
					योग ...	**2.5291**

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानिक भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :– उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा संतकबीर नगर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 1710—भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि उप मुख्य अभियन्ता कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद संतकबीर नगर, तहसील मेंहदावल, परगना बांसी पूरब, ग्राम औरही में रकबा 4.482 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2—राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर संतकबीर नगर) को अपनी अनुसंशा प्रस्तुत की गयी है। जिसे कलेक्टर संतकबीर नगर द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3—सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सारांश इस प्रकार है—

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिर्सोस एण्ड टेक्नोलॉजी (सीवार्ट) वसुन्धरा गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत/तहसील स्तर से आंकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास कृषिगत मजदूरी में कमी, चारागाह/खलिहान में कमी प्रदूषण में वृद्धि बताई गयी। वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा, माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गयी है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वभाविक है, किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि अवशेष जोत का उन्नयन, रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुँच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास बेहतर आवास के निर्माण परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है आदि से किसान लाभान्वित होंगे, जिससे कृषि जोत में आयी कमी को पूर्ण किया जा सकता है परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाईन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे—परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत् आदि की सुविधाएँ प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से सम्भावित है कि नई रेल लाईन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से सम्भावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुए आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गयी है।

4—भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थपित नहीं हो रहा है।

5—अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देती हैं।

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	संतकबीर नगर	मेंहदावल	बांसी पूरब	औरही	5	0.009
2					6	0.120
3					7	0.016
4					121	0.028
5					117	0.001
6					122	0.078
7					123	0.099
8					124	0.704
9					116	0.074
10					115	0.376
11					112	0.058
12					125	0.523
13					126	0.157
14					127	0.600
15					130	0.048
16					129	0.429
17					128	0.301
18					136	0.123
19					135	0.051
20					132	0.226
21					133	0.230
22					134	0.206
23					110	0.025
					योग ...	**4.482**

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानिक भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :– उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा संतकबीर नगर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 1710–भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि उप मुख्य अभियन्ता कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद संतकबीर नगर, तहसील मेंहदावल, परगना बांसी पूरब, ग्राम बघिनी में रकबा 3.3686 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर संतकबीर नगर) को अपनी अनुसंशा प्रस्तुत की गयी है। जिसे कलेक्टर संतकबीर नगर द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सारांश इस प्रकार है–

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिर्सोस एण्ड टेक्नोलॉजी (सीवार्ट) वसुन्धरा गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत/तहसील स्तर से आंकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास कृषिगत मजदूरी में कमी, चारागाह/खलिहान में कमी प्रदूषण में वृद्धि बताई गयी। वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा, माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गयी है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वभाविक है, किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि अवशेष जोत का उन्नयन, रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुँच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास बेहतर आवास के निर्माण परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है आदि से किसान लाभान्वित होंगे, जिससे कृषि जोत में आयी कमी को पूर्ण किया जा सकता है परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाईन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे–परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत् आदि की सुविधाएँ प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से सम्भावित है कि नई रेल लाईन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से सम्भावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुए आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गयी है।

4–भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थपित नहीं हो रहा है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देती हैं।

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	संतकबीर नगर	मेंहदावल	मगहर पूरब	बघिनी	28	0.150
2					68	0.007
3					69	0.002
4					70	0.257
5					106	0.023
6					107	0.011
7					108	0.127
8					110	0.150
9					114	0.063
10					115	0.047
11					113	0.037
12					116	0.014
13					119	0.182
14					117	0.015
15					124	0.127
16					123	0.030
17					137	0.005
18					136	0.092
19					135	0.079
20					143	0.338
21					144	0.084
22					147	0.226
23					161	0.004
24					159	0.017
25					156	0.066
26					152	0.012
27					155	0.152
28					154	0.086
29					160	0.228
30					263	0.047
31					264	0.045
32					268	0.0004
33					261	0.054
34					262	0.296
35					271	0.0002
36					270	0.249
37					264	0.046
					योग ...	**3.3686**

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानिक भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :– उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा संतकबीर नगर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 1710–भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि उप मुख्य अभियन्ता कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद संतकबीर नगर, तहसील मेंहदावल, परगना बांसी पूरब, ग्राम भैसामाफ़ी में रकबा 0.139 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर संतकबीर नगर) को अपनी अनुसंशा प्रस्तुत की गयी है। जिसे कलेक्टर संतकबीर नगर द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सारांश इस प्रकार है–

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिर्सोस एण्ड टेक्नोलॉजी (सीवार्ट) वसुन्धरा गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत/तहसील स्तर से आंकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास कृषिगत मजदूरी में कमी, चारागाह/खलिहान में कमी प्रदूषण में वृद्धि बताई गयी। वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा, माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गयी है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वभाविक है, किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि अवशेष जोत का उन्नयन, रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुँच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास बेहतर आवास के निर्माण परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है आदि से किसान लाभान्वित होंगे, जिससे कृषि जोत में आयी कमी को पूर्ण किया जा सकता है परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाईन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे–परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत् आदि की सुविधाएँ प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से सम्भावित है कि नई रेल लाईन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से सम्भावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुए आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गयी है।

4–भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थपित नहीं हो रहा है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देती हैं।

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	संतकबीर नगर	मेंहदावल	बांसी पूरब	भैसामाफ़ी	335	0.004
2					336	0.019
3					337	0.068
4					338	0.037
5					339	0.009
6					341	0.002
					योग ...	**0.139**

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानिक भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :– उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा संतकबीर नगर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 1710–भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि उप मुख्य अभियन्ता कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद संतकबीर नगर, तहसील मेंहदावल, परगना बांसी पूरब, ग्राम डमरूबर में रकबा 0.6125 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर संतकबीर नगर) को अपनी अनुसंशा प्रस्तुत की गयी है। जिसे कलेक्टर संतकबीर नगर द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सारांश इस प्रकार है–

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिर्सोस एण्ड टेक्नोलॉजी (सीवार्ट) वसुन्धरा गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों

का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत/तहसील स्तर से आंकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास कृषिगत मजदूरी में कमी, चारागाह/खलिहान में कमी प्रदूषण में वृद्धि बताई गयी। वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा, माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गयी है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वभाविक है, किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि अवशेष जोत का उन्नयन, रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुँच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास बेहतर आवास के निर्माण परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है आदि से किसान लाभान्वित होंगे, जिससे कृषि जोत में आयी कमी को पूर्ण किया जा सकता है परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाईन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे–परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत् आदि की सुविधाएँ प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से सम्भावित है कि नई रेल लाईन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से सम्भावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुए आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गयी है।

4–भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थपित नहीं हो रहा है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देती हैं।

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	संतकबीर नगर	मेंहदावल	बांसी पूरब	डमरूबर	259	0.266
2					258	0.096
3					257	0.054
4					262	0.095
5					263	0.004
6					261	0.0975
					योग ...	**0.6125**

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानिक भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :– उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा संतकबीर नगर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 1710–भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि उप मुख्य अभियन्ता कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद संतकबीर नगर, तहसील मेंहदावल, परगना बांसी पूरब, ग्राम पसाई में रकबा 4.457 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर संतकबीर नगर) को अपनी अनुसंशा प्रस्तुत की गयी है। जिसे कलेक्टर संतकबीर नगर द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सारांश इस प्रकार है–

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिर्सोस एण्ड टेक्नोलॉजी (सीवार्ट) वसुन्धरा गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत/तहसील स्तर से आंकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास कृषिगत मजदूरी में कमी, चारागाह/खलिहान में कमी प्रदूषण में वृद्धि बताई गयी। वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा, माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गयी है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वभाविक है, किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि अवशेष जोत का उन्नयन, रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुँच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास बेहतर आवास के निर्माण परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है आदि से किसान लाभान्वित होंगे, जिससे कृषि जोत में आयी कमी को पूर्ण किया जा सकता है परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाईन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे–परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत् आदि की

सुविधाएँ प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से सम्भावित है कि नई रेल लाईन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से सम्भावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुए आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गयी है।

4–भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थपित नहीं हो रहा है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देती हैं।

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	संतकबीर नगर	मेंहदावल	बांसी पूरब	पसाई	299	0.207
2					302	0.017
3					300	0.444
4					301	0.054
5					303	0.027
6					304	0.283
7					305	0.591
8					312	0.094
9					311	0.247
10					310	0.368
11					307	0.243
12					309	0.130
13					308	0.163
14					306	0.619
15					318	0.062
16					319	0.039
17					324	0.002
18					323	0.356
19					322	0.285
20					320	0.009
21					321	0.217
					योग ...	**4.457**

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानिक भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :– उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा संतकबीर नगर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 1710–भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि उप मुख्य अभियन्ता कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद संतकबीर नगर, तहसील मेंहदावल, परगना बांसी पूरब, ग्राम परसवनिया में रकबा 0.493 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर संतकबीर नगर) को अपनी अनुसंशा प्रस्तुत की गयी है। जिसे कलेक्टर संतकबीर नगर द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सारांश इस प्रकार है–

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिर्सोस एण्ड टेक्नोलॉजी (सीवार्ट) वसुन्धरा गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत/तहसील स्तर से आंकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास कृषिगत मजदूरी में कमी, चारागाह/खलिहान में कमी प्रदूषण में वृद्धि बताई गयी। वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा, माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गयी है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वभाविक है, किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि अवशेष जोत का उन्नयन, रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुँच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास बेहतर आवास के निर्माण परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है आदि से किसान लाभान्वित होंगे, जिससे कृषि जोत में आयी कमी को पूर्ण किया जा सकता है परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाईन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे–परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत् आदि की सुविधाएँ प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से सम्भावित है कि नई रेल लाईन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से सम्भावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुए आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गयी है।

4–भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थपित नहीं हो रहा है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देती हैं।

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	संतकबीर नगर	मेंहदावल	बांसी पूरब	परसवनिया	41	0.002
2					42	0.010
3					43	0.022
4					44	0.097
5					45	0.023
6					46	0.026
7					47	0.201
8					48	0.092
9					49	0.020
					योग ...	**0.493**

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानिक भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :– उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा संतकबीर नगर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 1710–भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है

कि उप मुख्य अभियन्ता कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद संतकबीर नगर, तहसील मेंहदावल, परगना बांसी पूरब, ग्राम परसा पांडे में रकबा 5.654 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2—राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर संतकबीर नगर) को अपनी अनुसंशा प्रस्तुत की गयी है। जिसे कलेक्टर संतकबीर नगर द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3—सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सारांश इस प्रकार है—

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिर्सोस एण्ड टेक्नोलॉजी (सीवार्ट) वसुन्धरा गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत/तहसील स्तर से आंकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास कृषिगत मजदूरी में कमी, चारागाह/खलिहान में कमी प्रदूषण में वृद्धि बताई गयी। वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा, माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गयी है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वभाविक है, किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि अवशेष जोत का उन्नयन, रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुँच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास बेहतर आवास के निर्माण परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है आदि से किसान लाभान्वित होंगे, जिससे कृषि जोत में आयी कमी को पूर्ण किया जा सकता है परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाईन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे—परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत् आदि की सुविधाएँ प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से सम्भावित है कि नई रेल लाईन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से सम्भावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुए आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गयी है।

4—भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थपित नहीं हो रहा है।

5—अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देती हैं।

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	संतकबीर नगर	मेंहदावल	बांसी पूरब	परसा पांडे	9/514	0.101
2					8	0.008
3					11	0.029
4					12	0.277
5					14	0.188
6					15	0.077
7					16	0.005
8					17	0.740
9					18	0.161
10					230	0.019
11					231	0.004
12					234	0.117
13					235	0.026
14					233	0.215
15					237	0.020
16					238	0.028
17					240	0.090
18					241	0.192
19					243	0.339
20					273	0.037
21					277	0.374
22					278	0.002
23					279	0.059
24					287	0.237
25					315	0.173
26					316	0.014
27					314	0.029
28					312	0.383
29					313	0.177
30					311	0.102
31					326	0.122
32					350	0.962
33					357	0.290
34					361	0.020
35					362	0.037
					योग ...	**5.654**

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानिक भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :– उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा संतकबीर नगर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 1710–भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि उप मुख्य अभियन्ता कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद संतकबीर नगर, तहसील मेंहदावल, परगना बांसी पूरब, ग्राम नेतारीकला में रकबा 3.7671 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर संतकबीर नगर) को अपनी अनुसंशा प्रस्तुत की गयी है। जिसे कलेक्टर संतकबीर नगर द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सारांश इस प्रकार है–

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिर्सोस एण्ड टेक्नोलॉजी (सीवार्ट) वसुन्धरा गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत/तहसील स्तर से आंकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास कृषिगत मजदूरी में कमी, चारागाह/खलिहान में कमी प्रदूषण में वृद्धि बताई गयी। वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा, माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गयी है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वभाविक है, किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि अवशेष जोत का उन्नयन, रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुँच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास बेहतर आवास के निर्माण परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है आदि से किसान लाभान्वित होंगे, जिससे कृषि जोत में आयी कमी को पूर्ण किया जा सकता है परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाईन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे–परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत् आदि की

सुविधाएँ प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से सम्भावित है कि नई रेल लाईन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से सम्भावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुए आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गयी है।

4—भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थपित नहीं हो रहा है।

5—अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देती हैं।

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	संतकबीर नगर	मेंहदावल	बांसी पूरब	नेतारीकला	38	0.015
2					39	0.021
3					40	0.004
4					41	0.243
5					42	0.069
6					58	0.007
7					59	0.005
8					194	0.133
9					182	0.012
10					181	0.128
11					176	0.286
12					175	0.013
13					196	0.180
14					207	0.081
15					195	0.062
16					208	0.003
17					209	0.072
18					226	0.001
19					234	0.010
20					235	0.0001
21					236	0.001
22					174	0.117
23					172	0.074
24					173	0.152
25					161	0.196

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
26	संतकबीर नगर	मेंहदावल	बांसी पूरब	नेतारीकला	160	0.074
27					159	0.171
28					158	0.075
29					270	0.012
30					259	0.111
31					250	0.019
32					257	0.004
33					256	0.003
34					258	0.026
35					262	0.369
36					263	0.253
37					289	0.339
38					290	0.013
39					299	0.413
					योग ...	**3.7671**

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानिक भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :– उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा संतकबीर नगर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 1710–भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि उप मुख्य अभियन्ता कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद संतकबीर नगर, तहसील मेंहदावल, परगना बांसी पूरब, ग्राम मंझरिया तिवारी में रकबा 0.9507 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर संतकबीर नगर) को अपनी अनुसंशा प्रस्तुत की गयी है। जिसे कलेक्टर संतकबीर नगर द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सारांश इस प्रकार है–

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिर्सोस एण्ड टेक्नोलॉजी (सीवार्ट) वसुन्धरा गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन

आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत/तहसील स्तर से आंकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास कृषिगत मजदूरी में कमी, चारागाह/खलिहान में कमी प्रदूषण में वृद्धि बताई गयी। वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा, माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गयी है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वभाविक है, किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि अवशेष जोत का उन्नयन, रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुँच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास बेहतर आवास के निर्माण परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है आदि से किसान लाभान्वित होंगे, जिससे कृषि जोत में आयी कमी को पूर्ण किया जा सकता है परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाईन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे–परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत् आदि की सुविधाएँ प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से सम्भावित है कि नई रेल लाईन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से सम्भावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुए आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गयी है।

4–भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थपित नहीं हो रहा है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देती हैं।

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	संतकबीर नगर	मेंहदावल	बांसी पूरब	मंझरिया तिवारी	154	0.036
2					156	0.012
3					160	0.015
4					155	0.014
5					157	0.004
6					158	0.008
7					159	0.012

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
8	संतकबीर नगर	मेंहदावल	बांसी पूरब	मंझरिया तिवारी	163	0.317
9					166	0.020
10					170	0.144
11					171	0.174
12					178	0.029
13					183	0.045
14					169	0.1207
					योग ...	**0.9507**

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानिक भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :– उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा संतकबीर नगर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 1710–भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि उप मुख्य अभियन्ता कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद संतकबीर नगर, तहसील मेंहदावल, परगना बांसी पूरब, ग्राम मैनहवा में रकबा 2.184 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर संतकबीर नगर) को अपनी अनुसंशा प्रस्तुत की गयी है। जिसे कलेक्टर संतकबीर नगर द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सारांश इस प्रकार है–

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिर्सोस एण्ड टेक्नोलॉजी (सीवार्ट) वसुन्धरा गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत/तहसील स्तर से आंकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास कृषिगत मजदूरी में कमी, चारागाह/खलिहान में कमी प्रदूषण में वृद्धि बताई गयी। वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा, माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गयी है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वभाविक है, किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि अवशेष जोत का उन्नयन, रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुँच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास बेहतर आवास के निर्माण परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है आदि से किसान लाभान्वित होंगे, जिससे कृषि जोत में आयी कमी को पूर्ण किया जा सकता है परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाईन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे–परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत् आदि की सुविधाएँ प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से सम्भावित है कि नई रेल लाईन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से सम्भावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुए आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गयी है।

4–भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थपित नहीं हो रहा है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देती हैं।

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	संतकबीर नगर	मेंहदावल	बांसी पूरब	मैनहवा	266	0.135
2					267	0.104
3					262	0.001
4					268	0.004
5					270	0.752
6					277	0.153
7					278	0.044
8					279	0.062
9					282	0.141
10					283	0.024
11					280	0.652
12					287	0.039
13					288	0.032
14					290	0.005
15					293	0.036
					योग ...	**2.184**

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानिक भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :– उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा संतकबीर नगर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 1710–भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि उप मुख्य अभियन्ता कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद संतकबीर नगर, तहसील मेंहदावल, परगना बांसी पूरब, ग्राम लेदवा श्रीपाल में रकबा 5.437 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर संतकबीर नगर) को अपनी अनुसंशा प्रस्तुत की गयी है। जिसे कलेक्टर संतकबीर नगर द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सारांश इस प्रकार है–

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिर्सोस एण्ड टेक्नोलॉजी (सीवार्ट) वसुन्धरा गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत/तहसील स्तर से आंकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास कृषिगत मजदूरी में कमी, चारागाह/खलिहान में कमी प्रदूषण में वृद्धि बताई गयी। वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा, माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गयी है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वभाविक है, किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि अवशेष जोत का उन्नयन, रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुँच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास बेहतर आवास के निर्माण परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है आदि से किसान लाभान्वित होंगे, जिससे कृषि जोत में आयी कमी को पूर्ण किया जा सकता है परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाईन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे–परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत् आदि की सुविधाएँ प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से सम्भावित है कि नई रेल लाईन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से सम्भावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुए आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गयी है।

4–भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थपित नहीं हो रहा है।

5—अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देती हैं।

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	संतकबीर नगर	मेंहदावल	बांसी पूरब	लेदवा श्रीपाल	87	0.182
2					107	0.709
3					106	0.693
4					105	0.073
5					109	0.081
6					119	0.306
7					120	0.148
8					118	0.216
9					117	0.213
10					115	0.060
11					116	0.031
12					113	0.291
13					111	0.156
14					112	0.056
15					125	0.022
16					126	0.086
17					127	0.002
18					129	0.002
19					186	0.041
20					178	0.075
21					177	0.130
22					174	0.285
23					173	0.090
24					172	0.204
25					171	0.191
26					170	0.013
27					370	0.263
28					386	0.032
29					387	0.279
30					389	0.237
31					390	0.265
32					108	0.005
					योग ...	**5.437**

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानिक भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :– उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा संतकबीर नगर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 1710–भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि उप मुख्य अभियन्ता कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद संतकबीर नगर, तहसील मेंहदावल, परगना बांसी पूरब, ग्राम लंगड़ावर में रकबा 1.088 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर संतकबीर नगर) को अपनी अनुसंशा प्रस्तुत की गयी है। जिसे कलेक्टर संतकबीर नगर द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सारांश इस प्रकार है–

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिर्सोस एण्ड टेक्नोलॉजी (सीवार्ट) वसुन्धरा गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत/तहसील स्तर से आंकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास कृषिगत मजदूरी में कमी, चारागाह/खलिहान में कमी प्रदूषण में वृद्धि बताई गयी। वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा, माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गयी है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वभाविक है, किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि अवशेष जोत का उन्नयन, रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुँच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास बेहतर आवास के निर्माण परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है आदि से किसान लाभान्वित होंगे, जिससे कृषि जोत में आयी कमी को पूर्ण किया जा सकता है परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाईन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे–परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत् आदि की

सुविधाएँ प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से सम्भावित है कि नई रेल लाईन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से सम्भावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुए आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गयी है।

4–भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थपित नहीं हो रहा है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देती हैं।

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	संतकबीर नगर	मेंहदावल	बांसी पूरब	लंगड़ावर	1	0.369
2					4	0.108
3					6	0.192
4					7	0.016
5					9	0.302
6					10	0.096
7					14	0.005
					योग ...	**1.088**

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानिक भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :– उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा संतकबीर नगर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 1710–भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि उप मुख्य अभियन्ता कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद संतकबीर नगर, तहसील मेंहदावल, परगना बांसी पूरब, ग्राम कुसौनाखुर्द में रकबा 2.156 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर संतकबीर नगर) को अपनी अनुसंशा प्रस्तुत की गयी है। जिसे कलेक्टर संतकबीर नगर द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सारांश इस प्रकार है–

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिर्सोस एण्ड टेक्नोलॉजी (सीवार्ट) वसुन्धरा गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत/तहसील स्तर से आंकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास कृषिगत मजदूरी में कमी, चारागाह/खलिहान में कमी प्रदूषण में वृद्धि बताई गयी। वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा, माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गयी है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वभाविक है, किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि अवशेष जोत का उन्नयन, रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुँच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास बेहतर आवास के निर्माण परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है आदि से किसान लाभान्वित होंगे, जिससे कृषि जोत में आयी कमी को पूर्ण किया जा सकता है परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाईन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे–परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत् आदि की सुविधाएँ प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से सम्भावित है कि नई रेल लाईन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से सम्भावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुए आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गयी है।

4–भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थपित नहीं हो रहा है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देती हैं।

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	संतकबीर नगर	मेंहदावल	बांसी पूरब	कुसौनाखुर्द	218	0.244
2					219	0.343
3					222	0.010
4					223	0.193
5					228	0.016
6					227	0.001
7					225	0.092
8					224	0.553
9					225/333	0.033
10					270	0.594
11					271	0.068
12					272	0.009
					योग ...	**2.156**

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानिक भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :– उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा संतकबीर नगर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 1710–भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि उप मुख्य अभियन्ता कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद संतकबीर नगर, तहसील मेंहदावल, परगना बांसी पूरब, ग्राम कुसम्हा में रकबा 1.453 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर संतकबीर नगर) को अपनी अनुसंशा प्रस्तुत की गयी है। जिसे कलेक्टर संतकबीर नगर द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सारांश इस प्रकार है–

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिर्सोस एण्ड टेक्नोलॉजी (सीवार्ट) वसुन्धरा गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों

का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत/तहसील स्तर से आंकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास कृषिगत मजदूरी में कमी, चारागाह/खलिहान में कमी प्रदूषण में वृद्धि बताई गयी। वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा, माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गयी है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वभाविक है, किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि अवशेष जोत का उन्नयन, रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुँच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास बेहतर आवास के निर्माण परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है आदि से किसान लाभान्वित होंगे, जिससे कृषि जोत में आयी कमी को पूर्ण किया जा सकता है परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाईन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे–परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत् आदि की सुविधाएँ प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से सम्भावित है कि नई रेल लाईन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से सम्भावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुए आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गयी है।

4–भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थपित नहीं हो रहा है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देती हैं।

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	संतकबीर नगर	मेंहदावल	बांसी पूरब	कुसम्हा	238	0.010
2					240	0.017
3					234	0.155
4					235	0.001
5					251	0.117
6					242	0.002

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
7	संतकबीर नगर	मेंहदावल	बांसी पूरब	कुसम्हा	243	0.018
8					252	0.028
9					253	0.028
10					254	0.004
11					255	0.067
12					244	0.091
13					245	0.022
14					246	0.028
15					266	0.006
16					267	0.009
17					247	0.358
18					248	0.023
19					249	0.210
20					284	0.259
					योग ...	**1.453**

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानिक भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :– उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा संतकबीर नगर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 1710–भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि उप मुख्य अभियन्ता कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद संतकबीर नगर, तहसील मेंहदावल, परगना बांसी पूरब, ग्राम करमा कलां में रकबा 4.097 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर संतकबीर नगर) को अपनी अनुसंशा प्रस्तुत की गयी है। जिसे कलेक्टर संतकबीर नगर द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सारांश इस प्रकार है–

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिर्सोस एण्ड टेक्नोलॉजी (सीवार्ट) वसुन्धरा गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों

का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत/तहसील स्तर से आंकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास कृषिगत मजदूरी में कमी, चारागाह/खलिहान में कमी प्रदूषण में वृद्धि बताई गयी। वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा, माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गयी है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वभाविक है, किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि अवशेष जोत का उन्नयन, रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुँच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास बेहतर आवास के निर्माण परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है आदि से किसान लाभान्वित होंगे, जिससे कृषि जोत में आयी कमी को पूर्ण किया जा सकता है परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाईन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे–परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत् आदि की सुविधाएँ प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से सम्भावित है कि नई रेल लाईन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से सम्भावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुए आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गयी है।

4–भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थपित नहीं हो रहा है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देती हैं।

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	संतकबीर नगर	मेंहदावल	बांसी पूरब	करमा कलां	193	0.021
2					175	0.871
3					187	0.035
4					186	0.019
5					198	0.179
6					199	0.186

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
7	संतकबीर नगर	मेंहदावल	बांसी पूरब	करमा कलां	200	0.355
8					224	0.027
9					227	0.001
10					226	0.233
11					225	0.294
12					229	0.237
13					231	0.167
14					232	0.023
15					232 / 399	0.031
16					222	0.030
17					307	0.014
18					303	0.152
19					302	0.024
20					301	0.156
21					295	0.259
22					299	0.398
23					298	0.051
24					297	0.003
25					279	0.103
26					283	0.086
27					284	0.070
28					280	0.001
29					281	0.008
30					282	0.049
31					286	0.002
32					285	0.012
					योग ...	**4.097**

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानिक भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय / क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :– उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा संतकबीर नगर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 1710—भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि उप मुख्य अभियन्ता कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद संतकबीर नगर, तहसील मेंहदावल, परगना बांसी पूरब, ग्राम घोरकटा में रकबा 0.498 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2—राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर संतकबीर नगर) को अपनी अनुसंशा प्रस्तुत की गयी है। जिसे कलेक्टर संतकबीर नगर द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3—सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सारांश इस प्रकार है—

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिर्सोस एण्ड टेक्नोलॉजी (सीवार्ट) वसुन्धरा गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत/तहसील स्तर से आंकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास कृषिगत मजदूरी में कमी, चारागाह/खलिहान में कमी प्रदूषण में वृद्धि बताई गयी। वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा, माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गयी है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वभाविक है, किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि अवशेष जोत का उन्नयन, रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुँच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास बेहतर आवास के निर्माण परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है आदि से किसान लाभान्वित होंगे, जिससे कृषि जोत में आयी कमी को पूर्ण किया जा सकता है परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाईन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे—परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत् आदि की सुविधाएँ प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से सम्भावित है कि नई रेल लाईन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से सम्भावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुए आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गयी है।

4—भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थपित नहीं हो रहा है।

5—अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देती हैं।

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	संतकबीर नगर	मेंहदावल	बांसी पूरब	घोरकटा	13	0.016
2					137	0.010
3					138	0.036
4					139	0.115
5					140	0.066
6					141	0.223
7					142	0.032
					योग ...	**0.498**

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानिक भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :– उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा संतकबीर नगर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 1710–भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि उप मुख्य अभियन्ता कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद संतकबीर नगर, तहसील मेंहदावल, परगना बांसी पूरब, ग्राम गोईठाहा में रकबा 10.4381 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर संतकबीर नगर) को अपनी अनुसंशा प्रस्तुत की गयी है। जिसे कलेक्टर संतकबीर नगर द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सारांश इस प्रकार है–

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिर्सोस एण्ड टेक्नोलॉजी (सीवार्ट) वसुन्धरा गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत/तहसील स्तर से आंकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास कृषिगत मजदूरी में कमी, चारागाह/खलिहान में कमी प्रदूषण में वृद्धि बताई गयी। वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा, माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गयी है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वभाविक है, किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि अवशेष जोत का उन्नयन, रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुँच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास बेहतर आवास के निर्माण परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है आदि से किसान लाभान्वित होंगे, जिससे कृषि जोत में आयी कमी को पूर्ण किया जा सकता है परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाईन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे–परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत् आदि की सुविधाएँ प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से सम्भावित है कि नई रेल लाईन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से सम्भावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुए आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गयी है।

4–भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थपित नहीं हो रहा है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देती हैं।

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	संतकबीर नगर	मेंहदावल	बांसी पूरब	गोईठाहा	15	0.480
2					14	0.151
3					13	0.004
4					24	0.013
5					27	0.325
6					30	0.013
7					79	0.016
8					87	0.062
9					88	0.368
10					78	0.165
11					89	0.014
12					90	0.011
13					91	0.025

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
14	संतकबीर नगर	मेंहदावल	बांसी पूरब	गोईठाहा	92	0.062
15					93	0.0001
16					135	0.001
17					329	0.064
18					140	0.004
19					139	0.057
20					156	0.005
21					161	0.072
22					162	0.050
23					160	0.046
24					163	0.233
25					164	0.065
26					166	0.014
27					167	0.013
28					170	0.399
29					172	0.001
30					177	0.009
31					207	0.795
32					205	0.077
33					204	0.409
34					206	0.173
35					210	0.138
36					211	0.184
37					212	0.017
38					232	0.001
39					236	0.044
40					237	0.233
41					238	0.113
42					239	0.106
43					235	0.299
44					234	0.045
45					229	0.001
46					241	0.046
47					240	0.032
48					242	0.005
49					245	0.105
50					246	0.021
51					247	0.018
52					248	0.037

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
53	संतकबीर नगर	मेंहदावल	बांसी पूरब	गोईठाहा	249	1.259
54					250	0.007
55					252	0.031
56					254	0.046
57					255	0.037
58					271	0.060
59					272	0.030
60					270	0.324
61					269	0.037
62					268	0.001
63					273	1.146
64					274	0.094
65					275	0.102
66					276	0.003
67					267	0.044
68					257	0.274
69					258	0.014
70					261	0.102
71					262	0.049
72					266	0.310
73					265	0.054
74					264	0.472
75					263	0.015
76					278	0.027
77					289	0.030
78					295	0.009
79					297	0.005
80					296	0.215
					योग ...	**10.4381**

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानिक भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :– उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा संतकबीर नगर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 1710—भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि उप मुख्य अभियन्ता कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद संतकबीर नगर, तहसील मेंहदावल, परगना मगहर पूरब, ग्राम कैथवलिया में रकबा 4.769 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2—राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर संतकबीर नगर) को अपनी अनुसंशा प्रस्तुत की गयी है। जिसे कलेक्टर संतकबीर नगर द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3—सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सारांश इस प्रकार है—

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिर्सोस एण्ड टेक्नोलॉजी (सीवार्ट) वसुन्धरा गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत/तहसील स्तर से आंकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास कृषिगत मजदूरी में कमी, चारागाह/खलिहान में कमी प्रदूषण में वृद्धि बताई गयी। वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा, माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गयी है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वभाविक है, किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि अवशेष जोत का उन्नयन, रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुँच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास बेहतर आवास के निर्माण परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है आदि से किसान लाभान्वित होंगे, जिससे कृषि जोत में आयी कमी को पूर्ण किया जा सकता है परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाईन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे—परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत् आदि की सुविधाएँ प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से सम्भावित है कि नई रेल लाईन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से सम्भावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुए आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गयी है।

4—भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थपित नहीं हो रहा है।

5—अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देती हैं।

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	संतकबीर नगर	मेंहदावल	मगहर पूरब	कैथवलिया	11	0.003
2					12	0.021
3					13	0.051
4					14	0.097
5					15	0.024
6					20	0.370
7					21	0.053
8					19	0.155
9					18	0.126
10					67	0.010
11					22	0.478
12					24	0.187
13					23	0.084
14					65	0.424
15					66	0.064
16					64	0.058
17					63	0.034
18					62	0.064
19					61	0.054
20					60	0.325
21					29	0.030
22					25	0.180
23					26	0.015
24					100	0.224
25					101	0.030
26					98	0.005
27					102	0.167
28					103	0.500
29					106	0.301
30					107	0.183
31					108	0.108
32					112	0.002
33					113	0.024
34					114	0.023
35					115	0.218
36					48	0.067
37					47	0.001
38					49	0.009
					योग ...	**4.769**

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानिक भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :– उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा संतकबीर नगर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 1710–भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि उप मुख्य अभियन्ता कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद संतकबीर नगर, तहसील मेंहदावल, परगना बांसी पूरब, ग्राम धोंवहा में रकबा 2.262 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर संतकबीर नगर) को अपनी अनुसंशा प्रस्तुत की गयी है। जिसे कलेक्टर संतकबीर नगर द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सारांश इस प्रकार है–

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिर्सोस एण्ड टेक्नोलॉजी (सीवार्ट) वसुन्धरा गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत/तहसील स्तर से आंकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास कृषिगत मजदूरी में कमी, चारागाह/खलिहान में कमी प्रदूषण में वृद्धि बताई गयी। वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा, माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गयी है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वभाविक है, किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि अवशेष जोत का उन्नयन, रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुँच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास बेहतर आवास के निर्माण परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है आदि से किसान लाभान्वित होंगे, जिससे कृषि जोत में आयी कमी को पूर्ण किया जा सकता है परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाईन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे–परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत् आदि की

सुविधाएँ प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से सम्भावित है कि नई रेल लाईन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से सम्भावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुए आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गयी है।

4–भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थपित नहीं हो रहा है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देती हैं।

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	संतकबीर नगर	मेंहदावल	बांसी पूरब	धोंवहा	252	0.426
2					254	0.068
3					253	0.018
4					258	0.023
5					261	0.241
6					262	0.340
7					272	0.257
8					273	0.168
9					274	0.321
10					276	0.400
					योग ...	**2.262**

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानिक भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :– उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा संतकबीर नगर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्रेम रंजन सिंह,
जिलाधिकारी, संतकबीर नगर।

पी0एस0यू0पी0–48 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2023 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 25 फरवरी 2023 ई० (फाल्गुन 6, 1944 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख–नगर पंचायत, खण्ड-ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ–जिला पंचायत।

खण्ड-घ–जिला पंचायत

जिला पंचायत, बलरामपुर

उपविधि

12 जनवरी, 2022 ई0

सं0 1062/एल0बी0ए0(उपविधि)/2022–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथासंशोधित) की धारा 142 एवं 143 के साथ पठित धारा 239(2) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, बलरामपुर द्वारा जनपद बलरामपुर के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय करने वाले कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म या अन्य संस्था, राजकीय विभाग, राज्य सरकार द्वारा दिये गये ठेके के ठेकेदार या स्थानीय संस्थायें, व्यापारियों/दुकानदार/फर्म/कारखाना मालिक आदि को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु शासन के पत्र संख्या 1152/33-2-2017-62जी/17 पंचायती राज अनुभाग-2, लखनऊ, दिनांक 04 अप्रैल, 2018 के अनुरूप उपविधि बनायी गयी है जो जिला पंचायत बलरामपुर की बैठक दिनाँक 20 अप्रैल, 2022 द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित है। जिला पंचायत बलरामपुर द्वारा उक्त उपविधि के जनसामान्य हेतु समाचार-पत्रों में प्रकाशन के उपरान्त सुझाव एवं आपत्ति आमंत्रित किया गया, परन्तु कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। तत्पश्चात् उक्त उपविधि को शासकीय गजट में प्रकाशन हेतु अनुमोदित किया जाता है।

उपविधि

1–कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप, फर्म या अन्य संस्था राजकीय विभाग, राज्य सरकार द्वारा दिये गये ठेके के ठेकेदार या स्थानीय संस्थाए, व्यापारियों/दुकानदारों/फर्म/कारखाना मालिक आदि जनपद बलरामपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय/व्यापार जिला पंचायत, बलरामपुर से लाइसेंस प्राप्त करने के उपरान्त ही करेंगे

2–इन उपविधियों के अर्न्तगत दिया जाने वाला लाइसेंस/अनुज्ञा-पत्र निम्नलिखित शर्तों पर दिया जायेगा

(अ) लाइसेंस का हस्तान्तरण नहीं किया जा सकेगा और तय अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् पुनः नवीनीकरण कराना होगा।

(ब) लाइसेंस नियत शुल्क भुगतान करने के पश्चात् ही जारी किये जायेंगे।

(स) लाइसेंस प्राप्त करने वाले व्यवसायी को व्यवसाय का पूरा विवरण नोटरी हलफनामा के साथ देना होगा।

(द) प्रत्येक लाइसेन्सधारक को अपनी दुकान के सामने एक साइनबोर्ड लगाना होगा, जिस पर दुकान, दुकानदार तथा व्यवसाय का नाम स्पष्ट लिखा होगा।

3–लाइसेंस शुल्क की वसूली जिला पंचायत के कर्मचारियों द्वारा या ठेकेदारों द्वारा की जायेगी एवं लाइसेंस शुल्क के वसूली सम्बन्धी ठेके की नीलामी जिला पंचायत, बलरामपुर द्वारा की जायेगी।

4–जिला पंचायत बलरामपुर के मुख्य अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत करने पर कार्य अधिकारी, कर अधिकारी, जिला पंचायत के लाइसेंसी अधिकारी होंगे, जिनको इन उपविधियों के अर्न्तगत लाइसेंस देने/बदलने/समाप्त करने, निलम्बित करने, न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने, वापस लेने तथा सुलह करने का पूर्ण अधिकार होगा।

5–इन उपविधियों का उल्लंघन करने के उपरान्त चलाये गये मुकदमों के दौरान लाइसेंस शुल्क का 50 प्रतिशत सुलहनामा शुल्क के रूप में जमा कराकर लाइसेंस अधिकारी समझौता कर सकेंगे। सुलहनामा शुल्क, लाइसेंस शुल्क व विलम्ब शुल्क के अतिरिक्त होगा।

6–लाइसेंस अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध अध्यक्ष, जिला पंचायत बलरामपुर को 30 दिन के अन्दर अपील की जा सकती है। इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अन्तिम होगा।

7–लाइसेंस की अवधि प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी।

8–लाइसेन्स प्राप्त करने या उसका नवीनीकरण करने का आवेदन निर्धारित प्रारूप पर दिया जायेगा, जो निर्धारित शुल्क जमा करने पर जिला पंचायत बलरामपुर कार्यालय से प्राप्त होगा। इसका मूल्य रु0 10.00 होगा।

9–खाद्य पदार्थ बनाने वाले दुकानदारों द्वारा ऐसी धातु का बर्तन प्रयोग न किया जाये, जो खाद्य पदार्थ को दूषित करते हो एवं उनमें बनाया गया पदार्थ स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हो। खाद्य पदार्थ मे किसी प्रकार की मिलावट न हो।

10–अवयस्क (नाबालिग), किसी छूत की बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को लाइसेंस नहीं जारी किया जायेगा।

11–कारखाना मालिकों/पेट्रोल पम्प मालिकों/बड़े व्यवसाइयों को अपने फर्म में साफ-सफाई प्रबंध एवं अग्निशमन यंत्र लगाना अनिवार्य होगा।

12–नाबालिगों से काम कराने पर लाइसेंस निरस्त कर चालान की कार्यवाही कर दी जायेगी।

13–पशु वधशाला/मीट शाप (मुर्गा, बकरा, मछली) वध की दुकान/व्यवसाय करने हेतु जिला पंचायत द्वारा निम्न शर्तों के अधीन लाइसेंस निर्गत किया जायेगा।

(अ) पशु वधशाला/मीट शाप सार्वजनिक मार्ग, सार्वजनिक/धार्मिक स्थल से कम से कम 500 मी0 दूर होना चाहिए तथा इस प्रकार बन्द होगा कि बाहर से किसी व्यक्ति को दिखायी न दे।

(ब) विक्रय हेतु रखे खाद्य पदार्थ पूर्णतया आच्छादित होना चाहिए तथा ऐसी धातु का प्रयोग न हो जिससे खाद्य पदार्थ को किसी प्रकार से विशाक्त या विकृत करते हों।

(स) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के मानकों का अनुपालन आवश्यक होगा, जिसके अर्न्तगत विशेष रूप से पशुओं के प्रति वध-पूर्व प्रक्रमों के अनावश्यक शारीरिक व मानसिक पीड़ा या यातना जहाँ तक सम्भव हो, समाप्त किया जाना।

(द) पशुवध मीट शाप ब्रिकी स्थल पर साफ-सफाई तथा पास की नाली ढकी होना आवश्यक है। अगर निरीक्षण के क्रम में गन्दगी पायी जाती है या संक्रमण रोग फैलने की शंका पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(य) पशु को मारने से पूर्व उसको निकटतम पशु चिकित्सालय के पशुचिकित्सा अधिकारी से उसके स्वस्थ होने तथा दुधारू और गर्भिणी न होने का प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा।

(र) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एन0ओ0सी0 अनिवार्य होगा।

(ल) शर्तों के क्रम में रजिस्टर्ड हलफनामा लाइसेंस अधिकारी जिला पंचायत बलरामपुर को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। लाइसेंस फीस जमा करने के एक सप्ताह के अन्दर उपरोक्त अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं करने की दशा में लाइसेंस फीस जब्त कर ली जायेगी। लाइसेंस की अवधि वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी। 01 अप्रैल से पूर्व नवीनीकरण न कराये जाने पर निर्धारित विलम्ब शुल्क देना अनिवार्य होगा।

लाइसेन्स शुल्क निम्नवत् होगा–

क्र0सं0	व्यवसायों का विवरण	पुरानी / वर्तमान दर लाइसेन्स शुल्क (प्रतिवर्ष)	प्रस्तावित लाइसेन्स शुल्क (प्रतिवर्ष)
1	2	3	4
		रु0 (प्रतिवर्ष)	रु0 (प्रतिवर्ष)
1	चीनी मिल	50,000.00	50,000.00
2	क्रेशर हाईड्रोलिक सल्फीटेशन	500.00	4,000.00
3	क्रेशर नॉन हाईड्रोलिक सल्फीटेशन	500.00	4,000.00
4	क्रेशर नॉन हाईड्रोलिक नॉन सल्फीटेशन	500.00	2,500.00
5	शक्ति चालित गन्ना पेरने का कोल्हू	500.00	400.00
6	शक्ति चालित केन्द्रापग (खाण्ड मशीन)	500.00	1,000.00
7	हस्त चलित केन्द्रापग (खाण्ड मशीन)	50.00	200.00
8	उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग कर रहा क्रिस्टीलाइजर	–	300.00
9	धान कूटने का मिल (राइस सेलर)	1,500.00	2,500.00
10	एक्सपेलर	100.00	500.00
11	आरा मशीन	500.00	2,000.00
12	खराद मशीन	100.00	1,000.00
13	पावर लूम (प्रत्येक)	–	1,000.00
14	रेशम व कपड़ा बनाने का कारखाना	–	4,000.00
15	सरिया बनाने का कारखाना	–	15,000.00
16	लोहा बनाने का कारखाना (प्रति भठ्ठी)	–	5,000.00
17	बर्फ बनाने का कारखाना (दो सौ सिल्ली तक)	500.00	2,000.00
18	बर्फ बनाने का कारखाना (उपरोक्त से अधिक)	500.00	4,000.00
19	गत्ता बनाने का कारखाना (बड़ा)	–	7,000.00
20	पेपर कोन बनाने का कारखाना	–	4,000.00
21	पेपर रोल बनाने का कारखाना	–	8,000.00
22	कागज बनाने का कारखाना (10 टन क्षमता)	–	10,000.00
23	कागज बनाने का कारखाना (10 टन से अधिक 20 टन क्षमता तक)	–	15,000.00
24	कागज बनाने का कारखाना (20 टन से अधिक 30 टन क्षमता तक)	–	30,000.00
25	कागज बनाने का कारखाना (30 टन क्षमता से अधिक)	–	50,000.00
26	दूध का पाउडर या दूध से अन्य पदार्थ बनाने का कारखाना	500.00	10,000.00
27	चिलिंग प्लाण्ट	1,000.00	8,000.00

1	2	3	4
		रु0 (प्रतिवर्ष)	रु0 (प्रतिवर्ष)
28	स्टील, आयरन आदि से पाइप बनाने का कारखाना (2'' मोटाई तक)	—	25,000.00
29	स्टील, आयरन आदि से पाइप बनाने का कारखाना (2'' मोटाई अधिक)	—	50,000.00
30	मशीन या यंत्र बनाने का कारखाना	500.00	7,000.00
31	फल, सब्जियां एवं खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने का कारखाना (कोल्ड स्टोरेज 50,000 बैग तक)	1,000.00	10,000.00
32	फल, सब्जियां एवं खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने का कारखाना (कोल्ड स्टोरेज 50000 बैग से अधिक क्षमता पर)	—	15,000.00
33	पिक्चर ट्यूब बनाने का कारखाना	—	5,000.00
34	हॉटमिक्स प्लान्ट	10,000.00	10,000.00
35	रबड़ की वस्तुएँ बनाने का कारखाना	—	2,000.00
36	चीनी मिट्टी के बर्तन या टाइल्स बनाने का छोटा कारखाना	500.00	2,000.00
37	चीनी मिट्टी के बर्तन या टाइल्स बनाने का बड़ा कारखाना	500.00	7,000.00
38	मसाले की ईंट आदि बनाने का कारखाना (सिरेमिक्स)	5,000.00	8,000.00
39	पीतल, एल्यूमिनियम, स्टील, शीशा, ताँबा व टीन आदि से वस्तुएँ बनाना।	—	4,000.00
40	वनस्पति/देशी घी या रिफाइण्ड आयल बनाने का कारखाना	—	15,000.00
41	शराब, स्प्रिट या एल्कोहल बनाने का कारखाना	25,000.00	50,000.00
42	कृषि सम्बन्धी यंत्र बनाने का कारखाना	500.00	4,000.00
43	फर्टिलाइजर या कीटनाशक दवाई बनाने का कारखाना	—	10,000.00
44	खाण्डसारी उद्योग के यंत्र बनाने का कारखाना	500.00	5,000.00
45	प्लास्टिक का दाना, फिल्म या बैग बनाने का कारखाना	—	4,000.00
46	प्लास्टिक के पाइप, टैंक बनाने का कारखाना	—	7,000.00
47	बिजली के सामान बनाने का कारखाना	—	4,000.00
48	कपडा, कम्बल आदि की रंगाई/छपाई या फिनिशिंग का कारखाना (छोटा)	—	2,000.00
49	कपडा, कम्बल आदि की रंगाई/छपाई या फिनिशिंग का कारखाना (बड़ा)	—	8,000.00
50	सीमेन्ट बनाने का कारखाना	—	10,000.00
51	फ्लोर मिल	1,500.00	10,000.00
52	दाल मिल	1,500.00	5,000.00
53	रिईनफोर्स्ड, सीमेंट कंक्रीट आदि के ह्यूम पाइप बनाने का कारखाना	2,000.00	10,000.00
54	टेलीविजन बनाने का कारखाना	—	10,000.00
55	माचिस बनाने का कारखाना	—	10,000.00
56	बटन बनाने का कारखाना	—	6,000.00
57	मोमबत्ती बनाने का कारखाना	200.00	3,000.00
58	विनियर एण्ड शॉ मिल	500.00	7,000.00
59	पेय पदार्थ बनाने का कारखाना/फैक्ट्री	—	50,000.00

1	2	3	4
		रु0 (प्रतिवर्ष)	रु0 (प्रतिवर्ष)
60	मिनरल वाटर बनाने का कारखाना	1,500.00	15,000.00
61	साकिट बनाने का कारखाना	—	5,000.00
62	प्लाईवुड या माइका बनाने का कारखाना	500.00	10,000.00
63	दवाई बनाने का कारखाना	—	7,000.00
64	गत्ते के डिब्बे बनाने का कारखाना	500.00	3,000.00
65	लैमिनेशन का कारखाना	—	5,000.00
66	दूध पैकेजिंग का कारखाना	500.00	6,000.00
67	केमिकल बनाने का कारखाना	—	8,000.00
68	डबल रोटी या बिस्कुट बनाने का कारखाना	200.00	5,000.00
69	गैस आदि बनाने का कारखाना	—	5,000.00
70	गैस के सिलेण्डर का कारखाना	—	8,000.00
71	वेल्डिंग राड्स बनाने का कारखाना	500.00	6,000.00
72	पीतल की राड्स बनाने का कारखाना	500.00	6,000.00
73	ढलाई करने का कारखाना	500.00	6,000.00
74	स्टील अलमारी, बक्से, मेज आदि बनाने का कारखाना	200.00	6,000.00
75	पशु आहार बनाने का कारखाना	2,000.00	5,000.00
76	धागा बनाने का कारखाना	—	4,000.00
77	धागा डबलिंग का कारखाना	—	7,000.00
78	दरी, कालीन आदि बनाने का कारखाना	—	7,000.00
79	साबुन बनाने का कारखाना	—	2,000.00
80	डिटर्जेन्ट बनाने का कारखाना	—	7,000.00
81	पट्टा बनाने का कारखाना	—	3,000.00
82	कमानी पट्टा बनाने का कारखाना	—	7,000.00
83	रबड़ के टायर ट्यूब बनाने का कारखाना	—	15,000.00
84	टायर रिट्रेडिंग	—	4,000.00
85	तिरपाल बनाने का कारखाना	—	10,000.00
86	आतिशबाजी संबंधी सामान बनाने का कारखाना	—	10,000.00
87	ग्रीस, मोबिल आयल,काला तेल आदि बनाने का कारखाना	—	5,000.00
88	चार पहिया बनाने का कारखाना	—	10,0000.00
89	दो पहिया बनाने का कारखाना	—	50,000.00
90	तार बनाने का कारखाना	—	15,000.00
91	तार की जाली बनाने का कारखाना	—	3,500.00
92	लालटेन बनाने का कारखाना	—	3,000.00
93	रेगमाल बनाने का कारखाना	—	4,000.00
94	बैट्री बनाने का कारखाना	—	5,000.00
95	पंखा या कूलर बनाने का कारखाना	—	5,000.00
96	रंग बनाने का कारखाना	—	5,000.00

1	2	3	4
		रु0 (प्रतिवर्ष)	रु0 (प्रतिवर्ष)
97	गम, टेप बनाने का कारखाना	—	4,000.00
98	आटो मोटर्स बनाने का कारखाना	1,000.00	5,000.00
99	निकिल पॉलिश (प्लेटिंग) करने का कारखानो	—	5,000.00
100	राँगा बनाने का कारखाना	—	5,000.00
101	गैस चूल्हा या उसके पार्ट्स बनाने का कारखाना	200.00	5,000.00
102	हड्डी मिल	—	25,000.00
103	सरेश मिल	—	5,000.00
104	पेट्रोल मिल	—	4,000.00
105	डीजल मिल	—	5,000.00
106	गैस बाटलिंग प्लाण्ट	—	25,000.00
107	सादा या काला नमक बनाने का कारखाना	—	2,000.00
108	प्रिंटिंग प्रेस या आफसेट प्रेस	500.00	2,500.00
109	सिनेमा हाल	1,000.00	4,000.00
110	विडियो सिनेमा हाल	1,000.00	2,500.00
111	मुर्गा/मुर्गी दाना का कारखाना/फैक्ट्री	2,000.00	3,000.00
112	पेट्रोल पम्प का टैंक बनाने का कारखाना	—	10,000.00
113	रेडीमेड गारमेंट्स का कारखाना	—	15,000.00
114	फोम के गद्दे बनाने का कारखाना	—	15,000.00
115	स्लाटर हाउस/इंटीग्रेटेड फूड प्रोसेसिंग प्लाण्ट	80.00	1,00,000.00
116	ट्रान्सफार्मर फैक्ट्री	—	20,000.00
117	स्टील के बर्तन बनाने का कारखाना	—	15,000.00
118	एयर कण्डीशनर बनाने का कारखाना	—	10,000.00
119	जूट सन व नायलान बनाने का कारखाना	—	5,000.00
120	शीशा बनाने का कारखाना	—	3,000.00
121	पिपरमिंट बनाने का कारखाना	—	2,000.00
122	चमड़ा टेनरी बनाने का कारखाना	—	25,000.00
123	जैविक कारखाना	—	5,000.00
124	फिक्स चिमनी ईंट भट्ठा (01 अक्टूबर के बाद विलम्ब शुल्क रु0 500.00 प्रतिमाह)	10,000.00	15,000.00
125	स्टोन क्रेशर	10,000.00	15,000.00
126	कपड़े की दुकान	200.00	500.00
127	रेडीमेड कपड़े होजरी तथा अन्य कपड़े की बड़ी दुकान	200.00	1,000.00
128	किराना या परचून की दुकान	100.00	500.00
129	गल्ला किराना की बड़ी दुकान	100.00	1,000.00
130	अलमारी एवं बक्शा बिक्री	100.00	500.00
131	स्टील का ग्रिल/बेड इत्यादि की दुकान/निर्माण	100.00	5,000.00
132	कपड़ा परचून की सम्मिलित दुकान	100.00	500.00

1	2	3	4
		रु0 (प्रतिवर्ष)	रु0 (प्रतिवर्ष)
133	गल्ला थोक या कपड़ा की बड़ी दुकान	200.00	1,000.00
134	विसातखाना या परचून की सम्मिलित दुकान	100.00	500.00
135	प्रबंधकीय विद्यालय (नर्सरी से कक्षा 5 तक)	—	10,000.00
136	प्रबंधकीय विद्यालय (जूनियर हाई स्कूल/मा0 वि0)	—	20,000.00
137	उच्च शिक्षा प्रबन्धकीय विद्यालय।	—	30,000.00
138	तकनीकी संस्था/प्रशिक्षण संस्था (डिप्लोमा/डिग्री)	—	30,000.00
139	विसातखाना या परचून की सम्मिलित दुकान बड़ी	100.00	1,000.00
140	केवल विसातखाना (बिस्कुट व टाफी) कन्फेशनरी	100.00	200.00
141	प्रत्येक होटल या बड़ा ढाबा	500.00	2,000.00
142	केवल चाय या केवल पान	100.00	200.00
143	सीमेन्ट की नाद अथवा जाली	100.00	200.00
144	छोटे ढाबे या चाय हलवाई की सम्मिलित दुकान	100.00	500.00
145	पान मसाला या तम्बाकू की दुकान	100.00	200.00
146	पान मसाला या तम्बाकू थोक का व्यवसाय	100.00	500.00
147	शरबत लस्सी या कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान	100.00	200.00
148	घी-दूध मक्खन वनस्पति सरसो व अन्य तेल की बड़ी दुकान।	100.00	500.00
149	फल एवं सब्जी की सम्मिलित बड़ी दुकान	200.00	500.00
150	सब्जी की दुकान छोटी/फल की दुकान	100.00	200.00
151	पुस्तक कापियाँ स्टेशनरी की दुकान बड़ी	100.00	1,000.00
152	पुस्तक कापियाँ स्टेशनरी की दुकान छोटी	100.00	500.00
153	फोटो स्टूडियो या फोटो की दुकान	100.00	500.00
154	सौन्दर्य प्रसाधन की दुकान	100.00	200.00
155	ब्यूटी पार्लर	100.00	500.00
156	प्रिटिंग प्रेस या छपाई मशीन (प्रति मशीन)	200.00	500.00
157	टाइपराइटर तथा इससे संबधित दुकान	100.00	500.00
158	जूते के अलावा चमड़े से बने सामान स्पंज के गद्दे तकिये आदि की दुकान	100.00	500.00
159	रूई धुनने की मशीन या रुई के बने गद्दे तकिये आदि की दुकान	100.00	500.00
160	फोटो कलर लैब	100.00	1,000.00
161	मेडिकल स्टोर	100.00	1,000.00
162	मेडिकल स्टोर एवं जनरल स्टोर की सम्मिलित दुकान	100.00	1,200.00
163	रासायनिक वस्तुएँ या आयुर्वेदिक औषधियां तथा दवाएँ	100.00	1,000.00
164	केवल सोनारी (आभूषण मरम्मत की दुकान)	50.00	500.00
165	सोने चांदी के आभूषण की दुकान	50.00	1,000.00
166	जूते की दुकान	50.00	500.00
167	टेलर मास्टर या दर्जी की दुकान	50.00	500.00
168	सैलून	50.00	200.00

1	2	3	4
		रु0 (प्रतिवर्ष)	रु0 (प्रतिवर्ष)
169	फर्नीचर की दुकान	100.00	1,000.00
170	खेल के सामान (हाकी फुटबाल क्रिकेट टेनिस आदि के सामान)	100.00	500.00
171	लोहे के बने सामानों या लोहे की दुकान (छोटी)	100.00	500.00
172	लोहे की बड़ी दुकान (कृषि यन्त्र सहित)	100.00	1,500.00
173	इमारती लकड़ी या फर्नीचर की दुकान	100.00	500.00
174	जलावन लकड़ी की छोटी दुकान	100.00	200.00
175	ईंधन जलाने वाला कोयला या लकड़ी की टाल	100.00	200.00
176	फुटकर मिट्टी का तेल मोबिल या डीजल या स्पिरिट की दुकान	100.00	500.00
177	पेटी डीजल	—	2,500.00
178	बालू, सीमेंट तथा मोरंग की दुकान	200.00	1,000.00
179	केवल चूना या कूची की दुकान	100.00	200.00
180	वार्निश पेंट या भवन रंगाई सम्बन्धित अन्य सामान जैसे एंगल दरवाजा खिड़की पत्थर पटिया की सम्मिलित दुकान	200.00	500.00
181	भवन निर्माण से सम्बन्धित अन्य सामान जैसे एंगल दरवाजा खिड़की पत्थर की पटिया की सम्मिलित दुकान	200.00	500.00
182	इमारती पत्थर या पटिया या दरवाजा या खिड़की की दुकान	200.00	500.00
183	बर्तन की दुकान (केवल लोहे या एल्युमिनियम)	100.00	500.00
184	पीतल तांबा आदि बर्तन की दुकान	100.00	500.00
185	केवल स्टील के बर्तन की दुकान	100.00	500.00
186	हर प्रकार की सूती व सूत कातने की दुकान	100.00	500.00
187	नया साइकिल बिक्री की दुकान	200.00	500.00
188	साइकिल मरम्मत व पुर्जे की दुकान	100.00	200.00
189	साइकिल को छोड़कर बड़े वाहनों के टायर ट्यूब की दुकान	200.00	1,000.00
190	(1) मोटर, जीप, ट्रक, ट्रैक्टर के पार्ट की दुकान	100.00	1,000.00
	(2) मोटरसाइकिल के पार्ट की दुकान	100.00	500.00
191	(1) मोटर या अन्य बड़े वाहनों के मरम्मत की दुकान या सर्विस सेंटर	100.00	1,000.00
	(2) मोटरसाइकिल के मरम्मत की दुकान	100.00	500.00
192	खराद/वेल्डिंग/ड्रिलिंग की दुकान	250.00	500.00
193	कृषि संबंधित बीज व खाद की दुकान	200.00	1,000.00
194	केवल बीज या केवल खाद की दुकान (फुटकर)	100.00	500.00
195	बीज एवं खाद गोदाम	200.00	1,000.00
196	कृषि संबंधित मशीनरी या औजार की दुकान	200.00	500.00
197	पम्पिंगसेट व डीजल इंजन की दुकान	200.00	1,000.00
198	पम्पिंगसेट व डीजल इंजन पार्टस की दुकान	200.00	500.00
199	घड़ी मरम्मत की दुकान	100.00	500.00
200	घड़ी की दुकान बिक्री	100.00	500.00
201	बिजली के सामान की बिक्री की दुकान/मरम्मत	100.00	500.00

1	2	3	4
		रु0 (प्रतिवर्ष)	रु0 (प्रतिवर्ष)
202	बिजली के सामान के साथ रेडियों टी0वी0 पंखे आदि घरेलू सामान उपकरण की बिक्री	100.00	1,000.00
203	केवल भूसा एवं खरी/पशु आहार, की दुकान	100.00	500.00
204	टेंट हाउस (छोटा)	100.00	1,000.00
205	टेंट हाउस (बड़ा)	200.00	2,000.00
206	कोल्ड स्टोरेज (पावर या अन्य विधि से)	1000.00	10,000.00
207	कपड़े की छपाई व रंगाई की दुकान (कम्प्यूटर इम्ब्राइडरी)	500.00	5,000.00
208	कबाड़ी व्यवसाय	200.00	500.00
209	दाल की मशीन (छोटी)	1500.00	2,000.00
210	दाल अथवा राइस मिल (पावर या अन्य विधि से)	1500.00	2,000.00
211	प्लास्टिक का सामान (रस्सी थैला टोकरी) बनाने का कारखाना	—	500.00
212	प्लास्टिक का सामान (उपरोक्त के अतिरिक्त) बनाने का कारखाना	—	1,000.00
213	विडियो फिल्म या इसके प्रदर्शन का व्यवसाय	200.00	1,000.00
214	विडियो फिल्म या आडियो सम्बन्धित कैसेट की दुकान	100.00	200.00
215	संगीत या सजावट सम्बन्धित उपकरण की दुकान	100.00	500.00
216	घी एवं वनस्पति अथवा तेल उत्पादन की फैक्ट्री	1,000.00	10,000.00
217	सीमेन्ट या गिट्टी से बनने वाले सामान का कारखाना बड़ा	1,000.00	25,000.00
218	सीमेन्ट से पौधे लगाने वाले गमले का व्यवसाय	200.00	500.00
219	भवन निर्माण में प्रयुक्त होने वाले (रंग पेंट एंगल दरवाजा खिड़की व सेनेटरी सामान) बनाने का कारखाना	500.00	10,000.00
220	रबर या प्लास्टिक से बनने वाले सामानों का कारखाना	100.00	1,000.00
221	पोल्ट्री फार्म	200.00	2,000.00
222	कृषि सम्बन्धित उपकरण बनाने का कारखाना	500.00	2,000.00
223	कार्बन या कार्बन पेपर बनाने का कारखाना	—	2,000.00
224	बेकरी बिस्कुट डबल रोटी बनाने का कारखाना बड़ा	100.00	1,000.00
225	बेकरी बिस्कुट डबल रोटी बनाने का कारखाना छोटा	100.00	500.00
226	रासायनिक दवाओं के बनाने का कारखाना	—	1,000.00
227	चीनी या खांडसारी के उत्पादन का व्यवसाय	200.00	1,000.00
228	खोवा छेना आदि के निर्माण की भट्ठी	200.00	1,000.00
229	ट्रांसपोर्ट व्यवसाय	—	10,000.00
230	प्रॉपर्टी डीलर एवं एजेन्ट	—	10,000.00
231	दूध का पाउडर तथा इससे संबंधित अन्य सामान के उत्पादन का कारखाना	500.00	5,000.00
232	चीनी मिट्टी एवं बर्तन बनाने का कारखाना	500.00	2,000.00
233	शीशें का सामान बनाने का कारखाना	—	2,000.00
234	सिगरेट बीड़ी बनाने का कारखाना	—	2,000.00
235	गोदाम (छोटा)	200.00	1,000.00
236	गोदाम (बड़ा)	500.00	2,000.00

1	2	3	4
		रु0 (प्रतिवर्ष)	रु0 (प्रतिवर्ष)
237	हड्डी पीसने का कारखाना	—	2,000.00
238	तकनीकी विज्ञान के सामान बनाने का कारखाना	—	2,000.00
239	रेस्टोरेंट/भोजनालय	100.00	5,000.00
240	हॉस्टल लॉजिंग गेस्ट हाउस (10 शैया तक)	—	5,000.00
241	हॉस्टल लॉजिंग गेस्ट हाउस (10 शैया ऊपर)	—	10,000.00
242	क्लीनिक (बिना बेड के)/(1360 वर्ग फीट से ऊपर)	500.00	2,000.00
243	नर्सिंग होम (10 बेड तक)/(1360 वर्ग फीट से ऊपर 10000 वर्ग फीट तक)	500.00	10,000.00
244	प्रसूति गृह (10 बेड)	500.00	10,000.00
245	पैथॉलाजी	500.00	2,000.00
246	एक्सरे/अल्ट्रासाउण्ड	500.00	10,000.00
247	मोटर साइकिल/स्कूटर ब्रिकी (एजेन्सी)	5,000.00	10,000.00
248	मोटर कार बिक्री (एजेन्सी)	—	20,000.00
249	आटो रिक्शा बिक्री (एजेन्सी)	—	5,000.00
250	रिक्शा ट्राली बिक्री (एजेन्सी)	—	2,000.00
251	मोटर गैरेज	1,000.00	2,000.00
252	आइसक्रीम फैक्ट्री	1,500.00	2,000.00
253	कैटरिंग सर्विस	—	2,000.00
254	आर्किटेक्ट/कसल्टेन्ट/चार्टर्ड एकाउन्टेंट	—	10,000.00
255	फाइनेन्स एण्ड चिट फण्ड	—	5,000.00
256	तेल मिल	—	2,000.00
257	तेल कोल्हू (स्पेलर) (01 अप्रैल के बाद मु0 10.00 रु0 प्रतिमाह विलम्ब शुल्क)	100.00	500.00
258	आटा चक्की (01 अप्रैल के बाद मु0 10.00 रु0 प्रतिमाह विलम्ब शुल्क)	100.00	500.00
259	धान मशीन (01 अप्रैल के बाद मु0 10.00 रु0 प्रतिमाह विलम्ब शुल्क)	100.00	500.00
260	राइस प्लान्ट/राइस प्लान्ट ट्रैक्टर चालित (01 अप्रैल के बाद मु0 रु0 200.00 वार्षिक विलम्ब शुल्क)	1,500.00	2,000.00
261	कालोनाइजर/बिल्डर्स	—	25,000.00
262	कम्प्यूटर की दुकान	100.00	10,000.00
263	विद्युत् ट्रान्सफार्मर मरम्मत	—	1,000.00
264	मोबाइल स्टोर/मरम्मत	100.00	500.00
265	चश्मा (आप्टिकल दुकान)	100.00	500.00
266	नमकीन एवं पेठा बनाने का कारखाना	200.00	2,000.00
267	ठेका देशी शराब	1,500.00	2,500.00
268	ठेका विदेशी शराब	1,500.00	2,500.00
269	बियर	1,500.00	2,500.00

1	2	3	4
		रु0 (प्रतिवर्ष)	रु0 (प्रतिवर्ष)
270	भांग	1,500.00	2,000.00
271	धर्मकाँटा	2,000.00	2,500.00
272	मीट शाप (मुर्गा बकरा मछली) आदि	80.00	1,000.00
273	इण्टरलाकिंग टाइल निर्माण उद्योग	5,000.00	10,000.00
274	ट्रक/बस के बॉडी का मरम्मत कारखाना	500.00	10,000.00
275	टोल प्लाजा	—	50,000.00
276	गैस एजेन्सी	5,000.00	10,000.00
277	मैरिज हाल	1,000.00	10,000.00
278	पेट्रोल/डीजल पम्प	5,000.00	10,000.00
279	राशन डीलर/सस्ते गल्ले की सरकारी दुकान	—	1,000.00
280	पानी से वर्फ (कुल्फी) बनाने का कारखाना।	500.00	2,000.00
281	अन्य प्रकार के दुकान/व्यवसाय जो उपरोक्त वर्गीकरण में नहीं हैं।	500.00	500.00
282	अन्य प्रकार के कारखाने जो उपरोक्त वर्गीकरण में नहीं हैं/बड़े व्यवसाय।	500.00	2,000.00

नोट :–

1. नये व्यवसाय पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क देय होगा।
2. 30 अप्रैल के बाद नवीनीकरण कराने पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त विलम्ब शुल्क देय होगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त उद्योगों को निम्न श्रेणी में विभक्त करते हुए अधिकतम लाइसेंस फीस सम्मुख अंकित धनराशि के अन्तर्गत की जा सकती है–

क्र0सं0	मद/व्यवसाय का नाम/कारखाने का नाम	प्रस्तावित लाईसेंस शुल्क
1	सूक्ष्म/कुटीर उद्योग (माइक्रो) लागत पच्चीस लाख तक	1,000.00 से 5,000.00 तक
2	लघु उद्योग (लागत 25 लाख 5 करोड़ तक)	6,000.00 से 20,000.00 तक
3	मध्यम उद्योग (लागत 5 करोड़ से 10 करोड़ तक)	21,000.00 से 5,00,000.00 तक
4	भारी उद्योग (लागत 10 करोड़ से अधिक तक)	51,000.00 से 1,00,000.00 तक

लाइसेंस की दर प्रत्येक 3 वर्ष पर 15 प्रतिशत वृद्धि के साथ निर्धारित की जायेगी, जिसकी स्वीकृति जिला पंचायत बलरामपुर बोर्ड में निहित होगी। कोई व्यक्ति फर्म कम्पनी आदि कोई ऐसी सूचना नहीं देगें जो असत्य हो या इन उपविधियों से सम्बंधित कोई ऐसी सूचना जिसे अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी, कर अधिकारी तथा जिला पंचायत का कोई अन्य कर्मचारी जिनकी नियुक्ति इस कार्य के लिए की गयी हो माँगे तो देने से इंकार नही

करेंगे। उ0प्र0 क्षेत्र एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-242 में दिये गये प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत बलरामपुर द्वारा बनाई गई उपविधि को अनुमोदित/स्वीकृति प्रदान की जाती है।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत बलरामपुर निर्देश देती है कि उपरोक्त उपनियमों में से किसी भी उपनियम का उल्लघंन करने पर उल्लघनकर्ता का दोष सिद्ध होने पर रु0 1,000.00 (एक हजार रुपया) तक अर्थदण्ड दिया जा सकता है तथा दोष सिद्ध होने के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जिसमें उल्लंघन जारी रहा है, रुपये 50.00 (पचास रुपये) प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदण्ड दिया जा सकता है और अर्थ दण्ड न अदा करने पर विधिक कार्यवाही कर तीन माह का कारावास का दण्ड दिया जा सकता है।

अतः यह उपविधि गजट में प्रकाशन होने के तिथि से लागू होगी, जिसके उपरान्त इस विषय से सम्बन्धित पूर्व में प्रचलित उपविधियां स्वतः निरस्त हो जायेंगी।

एम0 पी0 अग्रवाल,
आयुक्त,
देवीपाटन मण्डल,
गोण्डा।

पी0एस0यू0पी0–48 हिन्दी गजट–भाग 3–2023 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 25 फरवरी 2023 ई० (फाल्गुन 6, 1944 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगर पंचायत केराकत, जनपद-जौनपुर

09 फरवरी, 2023 ई0

सं0 367/न0पं0 (उपविधियों)/भवन निर्माण/प्रकाशन/2022-23–उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नगर पंचायत, केराकत जनपद-जौनपुर की बैठक दिनांक 11 अक्टूबर, 2022 के द्वारा, धारा 298 (2) के उपखण्ड-(क) के तहत अपनी सीमा के अन्तर्गत भवन निर्माण उपविधि बनाई है। उपविधियों का प्रारूप उक्त एक्ट की धारा-301(1) की यथा अपेक्षा अनुसार सभी नगर निवासियों को आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने के उद्देश्य से 15 दिवस के लिए प्रकाशित किया जाता है। सभी आपत्तियां एवं सुझाव अधिशासी अधिकारी को सम्बोधित इस कार्यालय को प्रेषित किये जायेंगे। केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जायेगा जो नियत तिथि तक प्राप्त होंगे। निर्धारित अवधि समाप्त होने के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों एवं सुझाव पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। इस उपविधियों से पूर्व यदि कोई उपविधि हो तो इस सीमा तक संशोधित या निरस्त समझा जायेगा।

भवन निर्माण उपविधि, 2022

1–शीर्षक–यह उपविधि नगर पंचायत केराकत जनपद–जौनपुर भवन निर्माण उपविधि वर्ष, 2022 कहलायेगी।

2–प्रकृति–यह उपविधि उत्तर प्रदेश साधारण गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से नगर पंचायत केराकत जनपद-जौनपुर में प्रभावी रहेगी।

3–परिभाषायें–जब तक विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधियों में–

(1) **''अधिनियम''** का तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम संख्या-2, 1916 से है।

(2) **''अधिशासी अधिकारी''** का तात्पर्य नगर पंचायत केराकत जनपद-जौनपुर के अधिशासी अधिकारी से है।

(3) **''बोर्ड/समिति''** का तात्पर्य नगर पंचायत केराकत, जनपद-जौनपुर के बोर्ड/समिति से है।

(4) **''अध्यक्ष''** का तात्पर्य नगर पंचायत केराकत, जनपद-जौनपुर के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

(5) **''नगर पंचायत''** का तात्पर्य नगर पंचायत केराकत, जनपद-जौनपुर से है।

(6) **''नगर पंचायत की सीमाओं''** का तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमाओं या भविष्य में बढ़ाने से निर्धारित होकर प्रभावी होने वाली सीमा से है।

4–नोटिस–यदि कोई व्यक्ति जो नगर पंचायत केराकत, जनपद-जौनपुर की सीमा के अन्तर्गत किसी भवन अथवा भू-खण्ड का स्वामी है और किराये पर देने और विक्रय करने अथवा पट्टे पर देने का हक रखता है और उस पर निर्माण या परिवर्तन करना चाहता है तो वह उक्त एक्ट की धारा-178 के अर्न्तगत नगर पंचायत को निर्धारित प्रारूप में नोटिस देगा।

नियम एवं शर्तें

नोटिस के साथ निम्नलिखित विवरण व मानचित्र संलग्न करना होगा–

(क)–स्थल का मानचित्र–अनुज्ञा के प्रार्थना-पत्र के साथ प्रेषित मानचित्र एक मीटर बराबर एक सेन्टीमीटर के पैमाने से कम नहीं खींचा जायेगा तथा उसमें निम्नलिखित विवरण प्रदर्शित होंगे :–

1–स्थल की सीमाएं और उनकी माप तथा समीपवर्ती भूमि, जो उनके स्वामी की हो।

2–स्थल का नजरी नक्शा (की प्लान) तथा भू-विन्यास या भू-खण्डों का विभाजन।

3–समीपवर्ती सड़कों की स्थिति तथा सड़क/सड़कों के नाम जिन पर भवन स्थित है।

4–भूमि का स्वामित्व प्रमाण-पत्र।

5–विद्यमान सड़क से भवन तक तथा सभी भवनों तक जो प्रार्थी सीमावर्ती भूमि पर बनाना चाहता है, पहुंचने (यदि कोई हो) का मार्ग।

6–स्थल का क्षेत्रफल, कुर्सी का क्षेत्रफल, प्रत्येक फर्श का क्षेत्रफल।

7–प्रस्तावित भवन का विस्तृत मानचित्र जिसमें भवन सम्बन्धी समस्त विवरण अंकित हों।

8–यदि किसी बड़े भू-खण्ड पर कई आवासीय भवन पृथक्-पृथक् परिवार के लिए बनाये जाने हों तो सभी व्यक्तियों के आने जाने हेतु अपनी भूमि से सार्वजनिक सड़क के रूप में जगह छोड़ी जायेगी, जिसे विकसित करना होगा।

(ख)–भवनों का मानचित्र–भवन के अगले भाग तथा खण्ड के विस्तृत मानचित्र जो नोटिस के साथ संलग्न हों, एक मीटर बराबर एक सेन्टीमीटर के माप के खींचे होने चाहिए और उनमें विभिन्न रंगों में दिखलाया जाना चाहिए। मानचित्र में निम्नलिखित विवरण सम्मिलित होंगे–

1–प्रति एक मंजिल का मानचित्र, प्रत्येक तल के आच्छादित भाग का विवरण, सभी कमरों, खिड़कियों, रोशनदानों, खुलने वाले दरवाजों, सीढ़ीयों आदि को ठीक स्थिति तथा आकार।

2–नालियों, गटरों, जल निकासी, बिजली लाईन तथा अन्य जन प्रयोग की चीजों की स्थिति।

3–शौचकूप, स्नानागार, नाबदान जैसे सेवाओं की वास्तविक स्थिति।

4–मानचित्र में नवीन निर्माण, जिसके लिए प्रार्थना-पत्र प्रेषित किया जायेगा, लाल रंग तथा पुराना भवन नीले रंग से दिखाया जायेगा।

5–भू-खण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर सेट बैक भवन का फ्रन्ट एलीवेशन, की प्लान, साइट प्लान, तलपट्ट मानचित्र, सर्विसेज प्लान आदि का विवरण।

6–मानचित्र में वाहन (दो पहिया/चार पहिया) जो हो खड़े करने का स्थान दर्शाना होगा।

7–मान्यता प्राप्त ड्राफ्टमैन/वास्तुविद् द्वारा निर्मित मानचित्र ही स्वीकार किये जायेंगे।

8–उत्तर रेखा तथा प्रयुक्त पैमाना।

(ग) अन्य विवरण नोटिस के साथ निम्नलिखित विवरण रहेंगे–

1–भवन का उद्देश्य–

(1) स्वयं रहने के लिए।
(2) व्यवसाय व्यापार से सम्बन्धित।
(3) उद्योग धन्धों के लिए।
(4) रहने या दुकान के लिए, प्रार्थना-पत्र में दर्शाया जायेगा।

5–**प्लान**–इस प्रकार के नोटिस के साथ जो कि किसी भवन/भू-खण्ड के निर्माण, पुनः निर्माण अथवा परिवर्तन से सम्बन्धित है मानचित्र और विवरण दो प्रतियों में संलग्न करेगा। मानचित्र ट्रेसिंग क्लाथ एवं ब्लू प्रिंट में होगा तथा भवन मानचित्र शुल्क जमा की रसीद संलग्न करेगा।

6–मानचित्र अस्वीकृत होने की दशा में जमा शुल्क का 25 प्रतिशत धनराशि स्टेशनरी शुल्क के रूप में रोक ली जायेगी तथा शेष 75 प्रतिशत धनराशि वापस कर दी जायेगी।

7–शुल्क उपनियम-4 में दर्शाया गया मानचित्र पर निम्न शुल्क अदा करना होगा–

क्र0	भवन/भू-खण्ड का प्रकार	भू-तल प्रति वर्ग फिट	अतिरिक्त तल प्रति वर्ग फिट
1	2	3	4
		रु0	रु0
1	निवासीय भवन (कवर्ड एरिया)	10.00	05.00
2	निवासीय भवन (ओपन एरिया)	06.00	03.00
3	व्यवसायिक भवन दुकान (कवर्ड एरिया)	20.00	10.00
4	व्यवसायिक भवन दुकान (ओपन एरिया)	15.00	08.00
5	वर्कशाप, फैक्ट्री, कारखाना आदि (कवर्ड एरिया)	30.00	15.00
6	वर्कशाप, फैक्ट्री, कारखाना आदि (ओपन एरिया)	20.00	10.00
7	भू-खण्ड/प्लाटिंग एरिया	05.00	00.00

(1) मानचित्र स्वीकृत करने का न्यूनतम शुल्क रु0 5,000.00 या उपर्युक्त दरों के आधार पर जो अधिकतम होगा, देय होगा।

(2) प्लाटिंग एरिया के आवासीय क्षेत्रफल पर ही शुल्क देय होगा।

नोट–पूर्व से निर्मित भवनों का भी मानचित्र उपरोक्त दरों पर उपविधि में निर्धारित नियमों एवं शर्तों का पालन करने पर स्वीकृत किया जायेगा।

(1) प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य भवन का कवर्ड एरिया एवं ओपन एरिया पर निर्धारित शुल्क होगा।

(2) नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-181 के अर्न्तगत यह स्वीकृति एक वर्ष के लिए मान्य होगी।

(3) सार्वजनिक मार्ग पर किसी भी प्रकार का प्रोजेक्शन स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(4) भू-तल पर सड़क की ओर रहने वाले दरवाजे (किवाड़) भीतर की ओर खुलेंगे।

(5) यदि प्रस्तावित निर्माण सार्वजनिक सड़क के सामने किया जाता है तो सड़क की पटरी से 1.20 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ कर निर्माण की स्वीकृति दी जायेगी।

(6) धार्मिक स्थल मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा इसी प्रकार अन्य धार्मिक स्थलों की स्वीकृति शासन की अनुमति के उपरान्त तथा धार्मिक स्थल के बीच से 7.50 मीटर से कम की दूरी न हो तथा प्रस्तावित धार्मिक स्थल किसी अन्य धार्मिक स्थल से 100 मीटर की दूरी पर न हो।

(7) विद्युत् लाईन का विस्तार/परिवर्तन विद्युत् विभाग की अनुमति के उपरान्त ही होगा।

(8) 200 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल में बनने वाले घरों या व्यवसायिक प्रतिष्ठान आदि का मानचित्र वर्षा जल प्रबन्धन की व्यवस्था मानचित्र पर प्रदर्षित करना अनिवार्य होगा।

(9) किसी भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान के निर्माण हेतु पार्किंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

8–शौचालय एवं गन्दे पानी का निकास–ऐसे व्यक्ति जो भवन का निर्माण ऐसे स्थान पर करेगा जो की सार्वजनिक नाली से 30 मीटर के भीतर होगा, तो उसे अपने भवन के पानी की नाली को सार्वजनिक नाली तक स्वयं मिलाना होगा।

9–भवन में फ्लश/लैट्रिंग लगाना अनिवार्य होगा बिना फ्लश/लैट्रिंग के मानचित्र की स्वीकृति प्रदान नहीं की जाएगी।

10–नालियॉ–भवन की नालियॉ सीमेन्ट कंक्रीट द्वारा मजबूत व पक्की नालियॉ बनायी जाएगी तथा सार्वजनिक नालियों से इसका जुड़ा होना भवन स्वामियों के लिए आवश्यक होगा तथा बारिश के पानी को छतों से उतारने हेतु पाईप लगाने होंगे।

11–पिलिन्थ (कुर्सी)–भवन का पिलिन्थ भवन के सामने की सड़क से कम से कम 0.50 मीटर ऊॅचा रखना होगा।

12–भवन की ऊॅचाई–भू-तल से फर्श छत पर ऊॅचाई 3.00 मीटर तथा ऊपर के अन्य तलों पर कम से कम 2.70 मीटर रखनी होगी।

13–(क)–भवन की किनारे व्यक्तियों के रहने के कमरों का क्षेत्रफल कम से कम 7.20 वर्गमीटर होगा तथा कमरे की चौड़ाई कम से कम 2.40 मीटर रखी जायेगी।

(ख)–कमरे में समुचित जंगलों और वेन्टीनेशनों की व्यवस्था करनी होगी जो कि खुले स्थान में होंगे तथा इनका क्षेत्रफल कमरे के क्षेत्रफल से 01/01 से कम नहीं होगा।

(ग)–जंगले इस प्रकार बनाये जायेंगे कि इनको पूरा खोला जा सके।

(घ)–जीना–बहु मंजिले भवनों में हवादार जीने का निर्माण आवश्यक होगा, जीने की चौड़ाई 90 सेन्टी मी0 से कम नही होनी चाहिए, जिससे रोशनी की समुचित व्यवस्था हो।

14–किसी ऐसे भू-खण्ड पर निवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जायेगी, जिसकी चौड़ाई 2.50 मीटर तथा लम्बाई (गहराई) 5.00 मीटर से कम होगी।

15–जानवरों का बाड़े की फर्श पक्की तथा ढालदार बनाना होगा।

16–जब सक्षम अधिकारी यह निश्चित कर लेगा कि प्रस्तावित भवन इस उपविधि से सम्बन्धित सभी शर्तों को पूरा करता है तो वह मानचित्र को स्वीकृति प्रदान करेगा।

17–निकाय/बोर्ड उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-186 के अन्तर्गत किसी निर्माण कार्य निर्माण कार्य को रोकने तथा निर्मित भवन को गिरा देने का अधिकार होगा जब भवन स्वामी या अभ्यासी को किसी भवन या भवन के नाम के निर्माण, पुनःनिर्माण या परिवर्तन अथवा विस्तार किसी ऐसे दशा में जहॉ निकाय/बोर्ड का यह विचार हो कि इस प्रकार का निर्माण, पुनःनिर्माण, परिवर्तन या विस्तार धारा-185 के अधीन कोई अपराध है, तो भवन स्वामी को लिखित नोटिस देकर रोकने का निर्देश दे सकता है और इसी प्रकार यथास्थिति ऐसे भवन या भवन के भाग में परिवर्तन करने या उसे गिरा देने का जिसे वह आवश्यक समझे, निर्देश दे सकता है।

शास्ति

उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 (अधिनियम-2, 1916 की धारा-299(1)) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत केराकत जनपद-जौनपुर यह निर्देश देती है कि उपरोक्त उपविधियों के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड किया जायेगा। जो रु0 1000.00 (एक हजार रुपये मात्र) तक हो सकता है। यदि उल्लंघन निरन्तर चला आ रहा हो तो रु0 25.00 (पच्चीस रुपये मात्र) अर्थदण्ड प्रतिदिन उपरोक्त के लिये किया जायेगा।

ह0 (अस्पष्ट),
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत केराकत,
जौनपुर।

20 दिसम्बर, 2022 ई0

सं0 343/344/न0पं0 केराकत/यू0चा0 नियमावली/अधि0/2022-2023—उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत केराकत जौनपुर ने अपनी बैठक 06 मई, 2022 के द्वारा धारा 128(1) के तहत नगर पंचायत क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत आने वाले सभी भवनों, इमारतों तथा भूमियों पर गृहकर निर्धारण हेतु शासनादेश सं0-408/नौ-10-63ज/95टी0सी0 नगर विकास अनुभाग-9 दिनांक 22 फरवरी, 2010 व शासनादेश सं0-135/नौ-9-11-190-द्वि0रा0वि0आ0/04 लखनऊ दिनांक 18 मार्च, 2011 के अनुपालन में नगर पंचायत केराकत जौनपुर की सीमान्तर्गत भवनों व सम्पत्तियों पर स्वकर प्रणाली के अंतर्गत गृहकर निर्धारण किये जाने हेतु स्वमूल्यांकन व्यवस्था प्रभावी तथा संपत्तियों पर गृहकर निर्धारण नियमावली, 2022 बनायी गयी है उक्त उपविधि के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो अपनी आपत्ति/सुझाव नगर पंचायत केराकत जौनपुर के कार्यालय में विज्ञप्ति प्रकाशन 15 दिन के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्ति पर कोई विचाार नहीं किया जायेगा।

सम्पत्तियों पर गृहकर निर्धारण नियमावली, 2022

1—यह नियमावली नगर पंचायत केराकत जौनपुर की सीमा में स्थित भवनों तथा **सम्पत्तियों पर गृहकर निर्धारण नियमावली—2022** कही जायेगी।

2—यह नियमावली नगर पंचायत केराकत जौनपुर की सीमा में लागू होगी।

3—यह नियमावली राजकीय गजट में प्रकाशन के पश्चात् नगर विकास विभाग अनुभाग—9 के शासनादेश संख्या 1688/नौ—9—2021 85ज/05टी0सी0 दिनांक 19 अगस्त 2021 के अनुसार लागू होगी।

4—"नगर पंचायत" से तात्पर्य नगर पंचायत केराकत जौनपुर से है।

5—"अधिशासी अधिकारी" से तात्पर्य नगर पंचायत केराकत, जौनपुर के अधिशासी अधिकारी से है।

6—"अध्यक्ष" से तात्पर्य नगर पंचायत के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी से है।

7—"प्रशासक/बोर्ड" का तात्पर्य नगर पंचायत केराकत जौनपुर के प्रशासक/बोर्ड से है।

8—"अधिनियम" से तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 से है।

9—"शासनादेश" का तात्पर्य उ0प्र0 शासन के आदेशों/निर्देशों से है।

10—कोई भी व्यक्ति यदि नगर पंचायत केराकत जौनपुर की सीमा में भवन/भूमि का स्वामी/अध्यासी है तो वे भवन/भूमि के सम्पत्ति कर निर्धारण स्वमूल्यांकन द्वारा कर लेगें। इसके लिए नगर पंचायत केराकत जौनपुर से एक आवेदन-पत्र प्राप्त कर अपने मकान का ब्यौरा देकर उपविधि में दी गयी निर्धारित दर के अनुसार स्वकर का निर्धारण करेंगे।

11—आवेदन-पत्र नगर पंचायत केराकत से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

12—जिन भवन/भूमि स्वामी/अध्यासी द्वारा स्वकर निर्धारण का विकल्प नही अपनाया जायेगा तो उसके सम्बन्ध में कर का निर्धारण व वसूली की कार्यवाही नियमानुसार नगर पंचायत केराकत जौनपुर द्वारा की जायेगी।

13—भवन—इसमें वह सभी अहाते, उपघर आदि एक संयुक्त परिसर में कई भवन स्थित है तो इस परिसर के सभी इमारतों के परिसर को भूमि सहित भवन कहा जायेगा और मकान का तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा में अंकित परिभाषा से है।

14—"सम्पत्ति" का तात्पर्य किसी भवन/भूमि या दोनों से है।

15—"आच्छादित क्षेत्रफल" का तात्पर्य, कुर्सी के उपर जिस पर भवन निर्मित है के प्रत्येक तल के आच्छादित क्षेत्रफल से है।

16–कारपेट एरिया की गणना नियमानुसार की जायेगी–

(क) कमरे	–आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप।
(ख) आच्छादित बरामदा	–आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप।
(ग) बालकनी, कारीडोर, रसोई व भण्डार गृह	–आन्तरिक आयाम की 50 फीसदी माप।
(घ) गैराज	–आन्तरिक आयाम की 1/4 माप।
(ङ) स्नानगृह, भौचालय, पोर्टिको और जीने से आच्छादित क्षेत्र	–कारपेट एरिया का भाग नही होगा।

अथवा

कारपेट एरिया	– आच्छादित क्षेत्र का 80 प्रतिशत भाग।

17–कर का निर्धारण–कर का निर्धारण निम्नांकित के आधार पर किया जायेगा।

(क) वार्षिक मूल्य की गणना, वार्षिक मूल्य=कारपेट एरिया × निर्धारित प्रति ईकाई का क्षेत्रफल मासिक किराया दर × 12

या

आच्छादित क्षेत्रफल का 80 प्रतिशत × निर्धारित प्रति इकाई का क्षेत्रफल मासिक किराया दर × 12

18–(क) करों का भुगतान–अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी/कर्मचारी बनाये गये नियम के अधीन निर्धारित भवन/भूमि (सम्पत्ति) कर के भुगतान हेतु स्वामी/अध्यासी को बिल भेजेगा, जिसमे एक ऐसा दिनांक निर्दिष्ट होगा, नगर पंचायत केराकत कार्यालय अथवा उसके द्वारा अभिसूचित बैंक में कर का भुगतान किया जायेगा। गृहकर निर्धारण का भुगतान का सार्वजनिक सूचना द्वारा सूचित किये जाने पर भी निर्धारित तिथि तक किया जायेगा। निर्धारित अवधि के नियमावली में दी गयी शास्ति तथा उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 173 (क) के अनुसार कर की वसूली की जायेगी। धारा 173 (क) की कार्यवाही का खर्च तथा बकाया धनराशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी लिया जायेगा।

(ख) यह है कि नगर पंचायत की ओर से अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी जैसे भी परिस्थिति हो के नगर पालिका अधिनियम की धारा 158(1)(2) के अन्तर्गत पत्र भेजकर किसी भवन/भूमि स्वामी को उनके सम्पत्ति आदि के बारे में विवरण प्रस्तुत करने तथा अन्य दस्तावेज मांगने व प्राप्त करने का अधिकार होगा।

(ग) इस उपविधि के किसी भी प्रावधान के बारे में नगर पंचायत यदि संतुष्ट है कि उपविधि के किसी प्रावधान का दुरुपयोग पंचायत द्वारा किया जा रहा है अथवा कोई प्रावधान/नियमानुसार जनहित में नही है, तो उक्त प्रावधान को निरस्त करने, छूट देने अथवा संसोधित करने का अधिकार नगर पंचायत को होगा।

19–किराये पर उठे आवासीय भवनों का उपरोक्तानुसार अवधारित वार्षिक मूल्य से (ARV) जोडें।

(क) दस वर्ष से अधिक पुराना है तो 25 प्रतिशत अधिक होगा (+) 25 प्रतिशत

(ख) दस वर्ष से अधिक तथा बीस वर्ष से कम पुराना है तो 12.5 प्रतिशत अधिक होगा (+) 12.5 प्रतिशत

(ग) बीस वर्ष से अधिक पुराना है तो यथावत समझा जायेगा।

नोट–नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 140 में यह प्रावधान है कि जहॉ नगर पंचायत किराये में किसी कारण से असाधारण परिस्थितियों में किसी भवन का वार्षिक मूल्य यदि उपर्युक्त रीति से गणना की गई हो अत्यधिक हो वहॉ नगर पंचायत किसी भी धनराशि पर जो भी न्याय संगत प्रतीत हो वार्षिक मूल्य नियत कर सकती है।

20–व्यावसायिक सम्पत्तियों से तात्पर्य–सभी प्रकार की फुटकर दुकानें, शोरूम, बेकरी, आटाचक्की, कोयला, लकड़ी, कृषि उपकरणों के लिये केन्द्र, शीतगृह, रिजोर्ट, होटल व बेवसाइट व ऑटोमोबाइल शोरूम/सर्विस सेन्टर व भोजनालय, जलपानगृह, रेस्टोरेन्ट, कैन्टीन, सिनेमा व मल्टीप्लेक्स, अस्थाई सिनेमा, पी0सी0ओ0, पेट्रोल व डीजल फिलिंग स्टेशन, गोदाम/गैस अधिष्ठान भण्डारण तथा गोदाम, निजी कार्यालय, बैंक व अन्य अनावासीय भवनों से है।

21–औद्योगिक सम्पत्तियों से तात्पर्य–सेवा/कुटीर उद्योग, औद्योगिक कारखानें, पावरलूम कारखाना, सूचना प्रौद्योगिकी/सॉफ्टवेयर टेक्नालॉजी/एल0पी0जी0 व फिलिंग प्लाण्ट/संयंत्र/केन्द्र आदि से है।

22–इन्स्टीट्यूशनल (संस्थागत) सम्पत्तियों से तात्पर्य–राजकीय, अर्द्धराजकीय, स्थानीय निकाय कार्यालय, श्रमिक कल्याण केन्द, पी0ए0सी0, पुलिस लाईन, मौसम अनुसंधान केन्द्र, वायरलेस केन्द्र, अतिथि गृह, धर्मशाला, रैनबसेरा, लॉजिंग बोर्डिंग हाउस, छात्रावास, अनाथालय, सुधारालय, कारागार, हैण्डीकैप चिल्ड्रेन हाउस, शिशुगृह, एवं देखभाल केन्द्र, बृद्धावस्था केन्द्र, प्राथमिक शैक्षिक संस्थान, उच्चतर माध्यमिक इण्टर/महाविद्यालय/विश्वविालय,

पोलीटेक्निक, इन्जिनियरिंग, विशिष्ट शैक्षिक संस्थान, आई0टी0आई0, डाकघर, तारघर, पुलिस स्टेशन/चौकी, अग्निशमन केन्द्र, पुस्तकालय/वाचनालय, नाट्य प्रशिक्षण केन्द्र, कलाकेन्द्र, सिलाई केन्द्र, बुनाई कढ़ाई केन्द्र, पेन्टिंग, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र इत्यादि, ऑडिटोरियम, नाट्यशाला, थियेटर, योगकेन्द्र, सामुदायिक केन्द्र, धर्मिक केन्द्र, बारात घर, कॉन्फ्रेंस एवं मीटिंग हाल, प्रदर्शनी केन्द्र, रेडियों व टेलीविजन कार्यालय/केन्द्र, नर्सिंग होम व अस्पताल आदि।

नोट–जो भी सामाजिक, धर्मिक राजनैतिक संस्थायें निःशुल्क जनहित में कार्य कर रही है वे कर से मुक्त रहेगी परन्तु जिस धर्म/राजनैतिक संस्था का जितने भाग का उपयोग व्यवसायिक होगा उस पर कर देय होगा।

23–रेन्ट कन्ट्रोल के मकान–रेन्ट कन्ट्रोल अधिनियम 1972 के अधीन आने वाले आवासीय भवनों पर नगर पंचायत केराकत जौनपुर प्रत्येक करों की गणना के लिये वार्षिक किराये का निर्धारण रेन्ट कन्ट्रोल अधिनियम के अंतर्गत नही होगा बल्कि गृहकर का निर्धारण उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 के प्रावधानों के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-135/9-9-11-190-द्वि0रा0वि0आ0/04 नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 18 मार्च, 2011 के अनुसार किया जायेगा।

24–जिन भवनों/व्यावसायिक भवनों में भवन स्वामी का पता नही चलता है तो ऐसे भवनों में किरायेदार/अध्यासी को की गृहकर का भुगतान करना होगा।

25–करों में छूट–उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 140(2) के अनुसार करों में छूट प्रदान की जायेगी।

(क) गृहकर की देयता वार्षिक होगी, 01 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य संबंधित वर्ष का कर जमा करना अनिवार्य होगा।

(ख) सम्बन्धित वर्ष में कर जमा नही करने की दशा में आगामी वित्तीय वर्ष में गृहकर पर 12 प्रतिशत की दर से सरचार्ज देय होगा।

26–संबंधित संसूचना प्रपत्र (क) प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर नगर पंचायत कार्यालय में भरकर जमा करना अनिवार्य है। भवन के क्षेत्रफल एवं दरों के सम्बन्ध में कोई त्रुटि पूर्ण विवरण होने की दशा में स्वामी अध्यासी से सम्पत्ति की देयता में होने वाले अन्तर के चार गुने धनराशि शास्ति (जुर्माना) के रूप में ली जायेगी निर्धारित अवधि तक विवरण न जमा करने की दशा में 100 वर्ग मीटर, 200 वर्ग मीटर, 400 वर्ग मीटर तथा उससे अधिक भू-खण्ड पर क्रमशः रु0 100/500/1,000/2,000 तक शास्ति (जुर्माना) आरोपित करके वसूल किया जायेगा, तथा 30 दिन के विलम्ब की स्थिति में शास्ति (जुर्माना) का 5 प्रतिशत अतिरिक्त लिया जायेगा।

27–भवन किराये पर देने या रिक्त होने, भवन में निर्माण/पुननिर्माण होने से आच्छादित क्षेत्रफल (कारपेट एरिया) में बृद्धि होने पर तथा भवन के व्यावसायिक/औद्योगिक प्रयोग होने पर 60 दिनों के अन्दर प्रपत्र (ख) में ही पुनः विवरण भवन स्वामी/अध्यासी द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

28–जिन भवनों/भूमियों को नगर पंचायत केराकत जौनपुर द्वारा भवन/भूमि की संज्ञा दी जा चुकी है उन्हें भी प्रपत्र 'क' और 'ख' पर उपरोक्तानुसार सूचना भरकर जमा करना अनिवार्य है तथा उसके भवन/भूमि पर यदि कोई पूर्व का बकाया है तो प्रपत्र क के अनुसार देय कर एवं पूर्व बकाया भी जमा करेंगें।

29–(क) मकानों को दर्ज करने सम्बन्धी–कोई भी व्यक्ति किसी भी समय यदि किसी भी भवन या भूमि पर अपना नाम अध्यासी अथवा स्वामी के रूप में करदाता सूची में अंकित कराना चाहता है तो उसे निर्धारित प्रक्रिया से आवेदन करना होगा और यदि उसके नाम के सम्बन्ध में कोई आवेदन निरस्त करने हेतु विचाराधीन है तो उल्लेख लिखित रूप में किया जायेगा अन्यथा उसके बाद सूची में आवेदन के अनुसार नाम, कर निर्धारण सूची में अंकित कर दिया जायेगा। मकान/दुकान/प्लाट इत्यादि प्रथम बार दर्ज किये जाने हेतु शुल्क रु0 5,000.00 प्रति सम्पत्ति देय होगा।

(ख) गृहकर पंजिका में दर्ज ऐसी भूमि/भवन जो पंचायत के स्वामित्व की भूमि है जो किसी कारणवश निजी उपयोग में लायी जा रही है तो वह गृहकर पंजिका में स्वतः निरस्त/करमुक्त मानी जायेगी।

30–मकानों का हस्तांतरण/नामान्तरण सम्बन्धी नियम–(क) यदि किसी भवन या भूमि जिस पर कर आरोपित है स्वामित्व हस्तांतरित होता है तो स्वामित्व हस्तांतरित करने वाले व्यक्ति तथा संस्था अथवा स्वामित्व पाने वाला व्यक्ति ऐसे संस्था ऐसे हस्तांतरण के 03 माह के अन्दर उसकी सूचना नगर पंचायत द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करके निर्धारित प्रपत्र पर अधिशासी अधिकारी को प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(ख) यदि किसी करदाता अथवा भवन/भूमि के स्वामी की मृत्यु हो जाती है तो उसके प्रत्येक वारिस को मृत्यु के दिनांक से 03 माह के अन्दर लिखित सूचना अधिशासी अधिकारी को देना होगा।

(ग) यदि किसी करदाता अथवा भवन का वारिस/उत्तराधिकारी 03 माह के अन्दर सूचना देने में असफल रहता है तो 03 माह के बाद प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते समय उसे नामान्तरण शुल्क के साथ रु0 500.00 विलम्ब शुल्क भी देय होगा तभी प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही किया जायेगा। यही प्रक्रिया विक्रय-पत्र के आधार पर नामान्तरण को कार्यवाही पर भी लागू होगी।

(घ) विक्रय-पत्र/बैनामा/वसीयतनामा/हिबानामा/करारनामा/दान आदि के आधार पर आवेदक नगर पंचायत अभिलेखों में दर्ज कराना चाहता है तो उसका निम्नलिखित जमा करने के बाद ही कार्यवाही शुरू की जायेगी–

	रु0
10 लाख रु0 तक की सम्पत्ति का नामान्तरण शुल्क	– 5,000.00
10 लाख रु0 से अधिक रु0 25 लाख तक की सम्पत्ति का नामान्तरण शुल्क	– 10,000.00
25 लाख रु0 से अधिक रु0 50 लाख तक की सम्पत्ति का नामान्तरण शुल्क	– 15,000.00
50 लाख रु0 से अधिक रु0 1 करोड़ तक की सम्पत्ति का नामान्तरण शुल्क	– 25,000.00
1 करोड़ रु0 से अधिक की सम्पत्ति का नामान्तरण शुल्क	– 50,000 रू0 प्रति, पीढी देय होगा।

नोटः–भवनों, भूमियों, इत्यादि को दर्ज करने, हस्तानान्तरण/नामान्तरण करने हेतु स्थानीय स्तर पर प्रचलित अधिक प्रसार वाले राष्ट्रीय दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशन कर 30 दिन के भीतर आपत्ति प्राप्त करने के पश्चात् प्राप्त आपत्ति का निस्तारण होने के उपरान्त नामान्तरण/हस्तानान्तरण, दर्ज करने की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। समाचार-पत्र में आपत्ति प्रकाशन का खर्च आवेदक से लिया जायेगा।

31–कर निर्धारण दर–गृहकर वार्षिक मूल्य का 10 प्रतिशत देय होगा।

32–मुख्य मार्ग का तात्पर्य–मुख्य मार्ग मे सभी सड़कें आयेंगी जिसकी चौड़ाई 24 फुट से अधिक होगी।

33–अन्य मार्ग का तात्पर्य–मुख्य मार्ग के अंदर के मार्ग व मोहल्ला/कालोनी में जाने वाली सड़क एवं समस्त गलियां अपने भागों में आयेंगी।

34–अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत केराकत जौनपुर द्वारा सत्यापित मासिक किराया प्रति वर्गफुट/रु0

भवन की प्रकृति	पक्का भवन (RCC/RB छत)			अन्य पक्का भवन			कच्चा भवन	भूमि के सम्बन्ध में
1	2	3	4	5	6	7		11
फर्श की प्रकृति ⇒ सड़क की लम्बाई ⇓	पत्थर/टायल्स/मुजाइक	पक्का फर्श	कच्चा	पत्थर/टायल्स/मुजाइक	पक्का फर्श	कच्चा	कच्चा	खाली प्लाट
क– (24 फुट से अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित भवन)	0.50	0.80	0.40	0.80	0.50	0.30	0.20	0.15
ख–(12 फुट से 24 फुट चौड़ी सड़क पर स्थित भवन)	0.40	0.60	0.30	0.60	0.40	0.20	0.15	0.10
ग–(12 फुट तक चौड़ी सड़क पर स्थित भवन)	0.30	0.40	0.20	0.50	0.30	0.10	0.10	0.05

35–अन्तिम निर्णय अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत केराकत जौनपुर में निहित होगा।

36–अन्य व्यावसायिक भवन/मिश्रित भवन जो मुख्य मार्ग पर स्थित न हो का कर निर्धारण निर्धारित आवासीय दर का दोगुना दर पर किया जायेगा।

37–(क) किसी भी स्वामी द्वारा अध्यासित आवासीय भवन जो 30 वर्ग मी0 के माप वाले या 15 वर्ग मी0 तक कारपेट क्षेत्रफल भू-खण्ड पर निर्मित हो उसके स्वामी के स्वामित्व में नगर पंचायत केराकत जौनपुर की सीमा के अंतर्गत कोई अन्य भवन/भू-खण्ड न हो पर वार्षिक मूल्य की गणना नही की जायेगी वो कर से मुक्त होंगे।

(ख) यदि आंशिक भाग का उपयोग व्यावसायिक/औद्योगिक के रूप में प्रयोग किया जा रहा है और आंशिक भाग पर निवासित है तो व्यावसायिक/औद्योगिक वाले भाग पर व्यावसायिक/औद्योगिक दर लागू होगा तथा निवासित भाग पर निवासित दर लागू होगा।

(ग) व्यावसायिक/औद्योगिक उपयोग वाले आवासों/आवासीय अंशों पर कर निर्धारण निम्न प्रकार किया जायेगा।

श्रेणी	सम्पत्ति का विवरण	अनावासीय भवन की मासिक किरायें की दर
1.	प्रत्येक प्रकार के वाणिज्यिक काम्पलेक्स, दुकानें और अन्य प्रतिष्ठान बैंक, कार्यालय, होटल, कोचिंग व प्रशिक्षण संस्थान (राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त को छोडकर) आवासीय सह दुकान की स्थिति में।	आवासीय दर का पांच गुना
2.	टावर और होर्डिंग वाले भवन, टी0बी0 टावर दूर संचार या कोई अन्य टावर जो भवन की सतह पर या शिखर पर या खुले स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाते है।	आवासीय दर का चार गुना
3.	प्रत्येक प्रकार के क्लीनिक, पाली क्लीनिक डायग्नोस्टिक केन्द्र, प्रयोगशालायें, नर्सिंग होम, चिकित्सालय केन्द्र, मेडिकल स्टोर, स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र।	आवासीय दर का तीन गुना
4.	पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी, डिपो और गोदाम	आवासीय दर का तीन गुना
5.	सामुदायिक भवन, कल्याण मण्डप शादी/बारात घर, क्लब व इसी प्रकार के भवन	आवासीय दर का तीन गुना
6.	औद्योगिक इकाइयां सरकारी अर्धसरकारी एवं सार्वजनिक, उपक्रम कार्यालय	आवासीय दर का तीन गुना
7.	क्रीडा केन्द्र, जिम, शारीरिक स्वास्थ्य केन्द्र, थियेटर तथा सिनेमा घर	आवासीय दर का दो गुना
8.	अन्य प्रकार के अनावासिक भवन जो उपर्युक्त श्रेणियों में उल्लिखित नहीं है।	आवासीय दर का तीन गुना
9.	छात्रावास और शैक्षणिक संस्थान जो अधिनियम की धारा 129-क के खण्ड (ग) के अधीन आच्छादित नहीं है।	आवासीय दर के समान

38–अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत केराकत जौनपुर द्वारा पंचायत सीमान्तर्गत स्थित भवनों/भूमियों का वार्षिक मूल्यांकन दरों पर निर्धारित किया जायेगा।

39–सम्बंधित बुकलेट रु0 50.00 शुल्क जमा कर कार्यालय नगर पंचायत केराकत से प्राप्त कर सकते है।

अर्थदण्ड

उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299(1) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत केराकत जौनपुर निश्चित करती है कि उपविधि के किसी भी नियम का उल्लंघन करना दण्डनीय अपराध होगा जो रु0 1,000.00 एक हजार जुर्माना हो सकता है और निरन्तर बने रहने की दशा में अतिरिक्त अर्थदण्ड देय होगा जो सर्वप्रथम दोष सिद्ध के दिनांक या अधिशासी अधिकारी द्वारा दिये गये नोटिस के दिनांक से प्रत्येक दिवस के लिये जिसके बारे में सिद्ध हो जाये कि जिसमें अपराधी अपराध करता है, रु0 25.00 पच्चीस रुपये मात्र प्रतिदिन अर्थदण्ड लिया जायेगा।

ह0 (अस्पष्ट),
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत केराकत,
जौनपुर।

काली चरण विद्यालय इन्डाऊमेन्ट ट्रस्ट

हरदोई रोड, चौक लखनऊ

14 जनवरी, 2023 ई0

सं0 KCVET/437/2022-23–कालीचरण विद्यालय हाईस्कूल इन्डाऊमेंट ट्रस्ट लखनऊ के प्रबन्ध समिति के सदस्यों का मनोनयन Government of United Provinces के Notification में निर्दिष्ट प्रावधान नं० 802-XV/251 दिनाँक 22 जून, 1912 के संशोधित Notification, Government of United Provinces Education (A) Department No. A-6035/XV-666-47 Dated Lucknow July 11, 1947 के अनुसार किया जाना है। उक्त ट्रस्ट के संचालन हेतु प्रबन्ध समिति का गठन गजट में प्रकाशन की तिथि से आगामी 03 वर्षों के लिए 2 (B) व (C) के अनुसार किया जाता है।

2–(A) पदेन सदस्य

1. जिलाधिकारी लखनऊ – **अध्यक्ष**
2. जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ।

(B) अन्य सदस्य

(i) **श्री चन्द्र प्रकाश गर्ग** (उद्योगपति)
पुत्र स्व० रामभारण गर्ग
466/41, पीर बुखारा, हरदोई रोड
चौक, लखनऊ।

(ii) **1. प्रो० एम० पी० सिंह**
पुत्र स्व० एन०पी० सिंह
पूर्व प्रतिकुलपति ल०वि०वि० तथा भू-गर्भ भास्त्री
1-24/बी० अलीगंज लखनऊ।

(iii) **1–श्री आशुतोश टन्डन 'गोपाल जी'**
पुत्र स्व० लाल जी टन्डन
पूर्व नगर विकास मंत्री/विधायक/सामाजिक कार्यकर्ता
सोंधी टोला चौक, लखनऊ।

2–श्री निर्मल कुमार सेठ वरिष्ठ अधिवक्ता मा० उच्च न्यायालय लखनऊ
पुत्र स्व० के०के० सेठ
वरिष्ठ अधिवक्ता मा० उच्च न्यायालय लखनऊ
1/2 कैसरबाग लखनऊ

3–श्री नवनीत सहगल आई०ए०एस०
पुत्र श्री सी०एल० सहगल
फैक्ल्टी ऑफ आर्किटेक्ट ए०के०टी०यू० टैगोर मार्ग, लखनऊ

4–इं० विनोद कुमार मिश्र (वी.के. मिश्र)
पुत्र स्व० काशीनाथ मिश्र
पूर्व अधीक्षण अभियन्ता यू०पी० स्टेट ब्रिज कारपोरेशन
4/251 विवेक खण्ड गोमतीनगर लखनऊ

(iv) **श्री संजय सेठ** पूर्व सदस्य राज्य सभा
पुत्र श्री लवकुश नारायण सेठ
8/1, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ 226001 उ०प्र०

(C) नामित सदस्य (राज्य सरकार द्वारा)

(i) ––––– **रिक्त** –––––
(जिलाधिकारी लखनऊ/अध्यक्ष द्वारा शिक्षाविद् नामित करने के लिए शासन को प्रेषित पत्रांक KCVET/406/2022-23 दिनांक 25 नवम्बर, 2022)

04 फरवरी, 2023 ई0

सं0 KCVET/476/2022-23–Government of United Provinces के Notification में निर्दिष्ट प्रावधान नं० 802-XV/251 दिनाँक 22 जून, 1912 के संशोधित Notification, Government of United Provinces Education (A) Department No. A-6035/XV-666-47 Dated: Lucknow July 11, 1947 के अनुसार अध्यक्ष, कालीचरण विद्यालय हाईस्कूल इन्डाऊमेंट ट्रस्ट/जिलाधिकारी लखनऊ के पत्रांक संख्या KCVET/437/2022-23 दिनांक 14 जनवरी, 2023 के क्रम में गठित कालीचरण विद्यालय हाईस्कूल इन्डाऊमेंट ट्रस्ट लखनऊ की प्रबन्ध समिति की बैठक दिनांक 30 जनवरी, 2023 को सम्पन्न हुई। प्रबन्ध समिति की बैठक में सर्वसम्मति से कालीचरण विद्यालय हाईस्कूल इन्डाऊमेंट ट्रस्ट लखनऊ के प्रबन्धक के पद पर प्रबन्ध समिति के सदस्य इं० विनोद कुमार मिश्र (वी०के० मिश्र) को नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति गजट में प्रकाशन की तिथि से 03 वर्षों के लिए मान्य होगी।

04 फरवरी, 2023 ई0

सं0 KCVET/477/2022-23–कालीचरण विद्यालय हाईस्कूल इन्डाऊमेंट ट्रस्ट लखनऊ द्वारा संचालित कालीचरण डिग्री/पी०जी० कालेज लखनऊ के प्रबन्ध हेतु लखनऊ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 व परिनियमावली के परिनियम् 13.5 के प्राविधानों के अनुसार एवं मातृ संस्था ट्रस्ट के सदस्यों से, कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ के पत्रांक AF/22694/सम्ब./2022 दिनांक 03 दिसम्बर, 2022 कुलपति द्वारा नामित पर्यवेक्षक प्रो० आर०पी० सिंह, अंग्रेजी विभाग, ल०वि०वि० लखनऊ के पर्यवेक्षण में प्रबन्ध समिति का दिनांक 30 जनवरी, 2023 को गठन/निर्वाचन किया गया। यह नवगठित प्रबन्ध समिति गजट में प्रकाशन की तिथि से 03 वर्षों के लिए मान्य होगी।

पदेन सदस्य :

1. जिलाधिकारी लखनऊ – **अध्यक्ष प्रबन्ध समिति**
2. प्राचार्य कालीचरण पी०जी० कालेज लखनऊ।
3. शिक्षक प्रतिनिधि (02) (वरिष्ठताक्रमानुसार एवं चक्रानुसार 01 वर्ष के लिए)
4. शिक्षणेत्तर प्रतिनिधि (01) (वरिष्ठताक्रमानुसार एवं चक्रानुसार 01 वर्ष के लिए)

अन्य सदस्य :

1 – **श्री आशुतोश टन्डन 'गोपाल जी'** विधायक/समाजसेवी
पुत्र स्व० लाल जी टन्डन
सोंधी टोला चौक, लखनऊ।

2 – **श्री संजय सेठ** पूर्व सदस्य राज्यसभा
पुत्र श्री लवकुश नारायण सेठ
8/1, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ 226001 उ.प्र.

3 – **श्री नवनीत सहगल** आई०ए०एस०
पुत्र श्री सी०एल० सहगल
फैक्ल्टी ऑफ आर्किटेक्ट ए०के०टी०यू० टैगोर मार्ग, लखनऊ।

4 – **श्री निर्मल कुमार सेठ** वरिष्ठ अधिवक्ता मा० उच्च न्यायालय लखनऊ
पुत्र स्व० के०के० सेठ
1/2 कैसरबाग लखनऊ।

5 – **प्रो० एम० पी० सिंह** पूर्व प्रतिकुलपति ल०वि०वि० तथा भू-गर्भ शास्त्री
पुत्र स्व० एन०पी० सिंह
1–24/बी० अलीगंज लखनऊ।

6 – **श्री चन्द्र प्रकाश गर्ग** उद्योगपति
पुत्र स्व० रामशरण गर्ग
466/41, पीर बुखारा, हरदोई रोड
चौक लखनऊ।

7 – **इं० विनोद कुमार मिश्र** (वी.के. मिश्र) समकक्ष पूर्व अधीक्षण अभियन्ता यू०पी० स्टेट ब्रिज कारपोरेशन
पुत्र स्व० काशीनाथ मिश्र
4/251 विवेक खण्ड गोमतीनगर लखनऊ।

- प्रबन्ध समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से इं० विनोद कुमार मिश्र (वी०के० मिश्र) को प्रबन्धक निर्वाचित किया गया।

04 फरवरी, 2023 ई0

सं0 KCVET/478/2022-23–कालीचरण विद्यालय हाईस्कूल इन्डाऊमेंट ट्रस्ट लखनऊ द्वारा संचालित कालीचरण इण्टर कालेज लखनऊ के प्रबन्ध हेतु स्वीकृत प्रशासन योजना में विहित प्राविधान के अनुसार, मातृ संस्था ट्रस्ट के सदस्यों से माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 एवं शासनादेशों के अनुसार, जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ के पत्रांक/मा०/11559-60/2022-23 दिनांक 20 जनवरी, 2023 द्वारा नामित पर्यवेक्षक श्रीमती रीता सिंह सह निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ.प्र. लखनऊ के पर्यवेक्षण में प्रबन्ध समिति का दिनांक 30 जनवरी, 2023 को गठन/निर्वाचन किया गया। यह नवगठित प्रबन्ध समिति गजट में प्रकाशन तिथि से 03 वर्षों के लिए मान्य होगी।

पदेन सदस्य :

1–जिलाधिकारी लखनऊ – **अध्यक्ष प्रबन्ध समिति**

2–जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ।

3–प्रधानाचार्य कालीचरण इन्टर कालेज लखनऊ।

4–शिक्षक प्रतिनिधि (02) (वरिष्ठताक्रमानुसार एवं चक्रानुसार 01 वर्ष के लिए)

अन्य सदस्य :

1 – **श्री आशुतोश टन्डन 'गोपाल जी'** विधायक/समाजसेवी
पुत्र स्व० लाल जी टन्डन
सोंधी टोला चौक, लखनऊ।

2 – **श्री संजय सेठ** पूर्व सदस्य राज्यसभा
पुत्र श्री लवकुश नारायण सेठ
8/1, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ 226001 उ.प्र.

3 – **श्री नवनीत सहगल** आई०ए०एस०
पुत्र श्री सी०एल० सहगल
फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्ट ए०के०टी०यू० टैगोर मार्ग, लखनऊ।

4 – **श्री निर्मल कुमार सेठ** वरिष्ठ अधिवक्ता मा० उच्च न्यायालय लखनऊ
पुत्र स्व० के०के० सेठ
1/2 कैसरबाग लखनऊ।

5 – **प्रो० एम० पी० सिंह** पूर्व प्रतिकुलपति ल०वि०वि० तथा भू-गर्भ शास्त्री
पुत्र स्व० एन०पी० सिंह
1–24/बी० अलीगंज लखनऊ।

6 – **श्री चन्द्र प्रकाश गर्ग** उद्योगपति
पुत्र स्व० रामशरण गर्ग
466/41, पीर बुखारा, हरदोई रोड
चौक लखनऊ।

7 – **इं० विनोद कुमार मिश्र** (वी.के. मिश्र) समकक्ष पूर्व अधीक्षण अभियन्ता यू०पी० स्टेट ब्रिज कारपोरेशन
पुत्र स्व० काशीनाथ मिश्र
4/251 विवेक खण्ड गोमतीनगर लखनऊ।

- प्रबन्ध समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से इं० विनोद कुमार मिश्र (वी०के० मिश्र) को प्रबन्धक निर्वाचित किया गया।

सूर्य पाल गंगवार,
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
कालीचरण विद्यालय हाईस्कूल,
इण्डाऊमेण्ट ट्रस्ट, लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम अरूण कुमार सरोज पुत्र राम सिरजन सरोज है जो कि मेरे सभी शैक्षिक अभिलेखों, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि में अंकित है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार मैंने अपना नाम अरूण कुमार सरोज से बदलकर अरूण सिंह रख लिया है, ताकि मेरा स्वास्थ्य और भविष्य उज्जवल हो सके, भविष्य में मुझे अरूण सिंह (ARUN SINGH) पुत्र राम सिरजन सरोज के नाम से जाना व पहचाना जायें।

अरूण कुमार सरोज,
पता– ई0ई0–40 दूरवाणी नगर,
ए0डी0ए0 कालोनी नैनी, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा वास्तविक नाम प्रतुल मौर्या है। त्रुटिवश मेरे शैक्षणिक अभिलेख सी0बी0एस0ई0 बोर्ड के हाईस्कूल अंकपत्र व प्रमाण-पत्र इण्टरमीडिएट के अंकपत्र व प्रमाण-पत्र तथा अन्य शैक्षिक दस्तावेजों में मेरे पिता का नाम रमणेश मौर्या अंकित हो गया है। जो सही नहीं है। सही नाम रमणेश कुमार है। प्रतुल मौर्य पुत्र रमणेश कुमार निवासी : 5/बी-1, नक्षत्र अपार्टमेन्ट, म्योर रोड बाबा चौराहा के निकट, जिला-प्रयागराज।

प्रतुल मौर्या
पुत्र रमणेश कुमार।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र देव अवस्थी के हाईस्कूल परीक्षा केंद्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड वर्ष 2021 अनुक्रमांक 23104459 के अंक-पत्र सह प्रमाण-पत्र में उसकी माता का नाम रजनी अवस्थी अंकित है जो कि गलत है जबकि मेरे पुत्र देव अवस्थी की माता का नाम राजेश कुमारी अवस्थी है।

रविकान्त अवस्थी,
पता– गड़िया रोड,
फिरोजनगर, अजीतमल, औरेया।

सूचना

मैं मयंक कुशवाहा पुत्र स्व0 विजय प्रकाश कुशवाहा, निवासी–मकान नं0 सी0 21/3सी-1, मलदहिया, वाराणसी (उ0प्र0) फर्म विक्टर कंस्ट्रक्शन, एस-14/82 तेलियाबाग, वाराणसी (उ0प्र0) का साझेदार होने की हैसियत से यह सूचना देना चाहता हूँ कि उक्त फर्म में पहले दो साझेदार क्रमशः मयंक कुशवाहा, अंचित कुशवाहा थे। जिसमें दिनांक 24.05.2022 को द्वितीय साझेदार अंचित कुशवाहा स्वेच्छा से पृथक हो गये, अब उनकी उक्त फर्म से किसी भी प्रकार का लेन-देन नहीं हैं। उक्त फर्म में उसी दिन नये साझेदार रवि प्रकाश कुशवाहा को उक्त फर्म में सम्मिलित किया जा रहा हैं। अतः उक्त फर्म में दो साझेदार क्रमशः मयंक कुशवाहा व रवि प्रकाश कुशवाहा हैं। कारोबार यथावत् रहेगा।

मयंक कुशवाहा,
साझेदार।

सूचना

फर्म मे0 श्री इन्द्रा साइन्टिफिक ग्लास वर्क्स, ए-11 इण्डस्ट्रियल स्टेट, फिरोजाबाद पत्रावली संख्या एजी–5906 में दिनांक 29 दिसम्बर, 2022 को रामप्रकाश अग्रवाल पुत्र श्री रामदयाल अग्रवाल निवासी–मधुवन इन्क्लेव जलेसर रोड फिरोजाबाद की मृत्यु के पश्चात् उनके उत्तराधिकारी तरूण अग्रवाल पुत्र स्व0 रामप्रकाश अग्रवाल निवासी-मधुवन एन्क्लेव, जलेसर रोड, फिरोजाबाद को फर्म की भागीदारी में सम्मलित कर लिया गया, वर्तमान फर्म में भागीदार श्री मनोज कुमार मित्तल, श्री शरद मित्तल, श्री तरूण अग्रवाल हैं।

मनोज कुमार मित्तल,
साझेदार,
मे0 श्री इन्द्रा साइन्टिफिक ग्लास वर्क्स,
ए -11, इण्डस्ट्रियल स्टेट, फिरोजाबाद।

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मे0 स्टार इन्टरप्राईजेज, 211-ए, बालाजीपुरम्, शाहगंज, आगरा में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार हैं–

फर्म के पूर्व द्वितीय पक्ष साझेदार श्री इन्द्रजीत चड्डा पुत्र श्री सेवाराम चड्डा निवासी–3, किशनगढ ईदगाह, आगरा की मृत्यु दिनांक 28 मार्च, 2022 को होने के कारण दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से श्रीमती राधा अग्रवाल पत्नी श्री रोहित गुप्ता निवासी–म0नं0-100 तुलसी बजट विला, पथौली, आगरा फर्म में नई भागीदार हो गयी हैं। अब फर्म में श्री रोहित गुप्ता तथा श्रीमती राधा अग्रवाल भागीदार हो गये हैं।

रोहित गुप्ता,
भागीदार,
मे0 स्टार इन्टरप्राईजेज,
211-ए, बालाजीपुरम्, शाहगंज, आगरा।

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मे0 भारत ट्रेडर्स, ए -37, मोती कुॅज, तह0 एण्ड जिला मथुरा के साझेदारों/विधान में परिवर्तन की सूचना देती हूँ–

यह है कि उक्त फर्म में दिनांक 01 जनवरी, 2023 से कु0 शगुन चौधरी पुत्री श्री मुकेश चौधरी, श्री यश राज चौधरी पुत्र श्री ओमवीर सिंह तथा श्रीमती प्रगति चौधरी पत्नी श्री रवि चौधरी निवासीगण– ए–37, मोती कुॅज, मथुरा उक्त फर्म में नये साझेदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं तथा फर्म के पूर्व भागीदार श्री मुकेश चौधरी, श्री ओमवीर सिंह तथा श्री रवि चौधरी पुत्रगण श्री विजेन्द्र सिंह निवासीगण–ए-37, मोती कुॅज, मथुरा जिला मथुरा दिनांक 01 जनवरी 2023 से अपनी स्वेच्छा से पृथक हो गये हैं। अब फर्म में कु0 शगुन चौधरी, श्री यश राज चौधरी तथा श्रीमती प्रगति चौधरी ही भागीदार रह गये हैं।

शगुन चौधरी,
भागीदार,
मे0 भारत ट्रेडर्स,
ए -37, मोती कुॅज, तह0 एण्ड जिला मथुरा।

सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 हाथरस इन्टरप्राईजेज, 21/131, धुलियागंज, आगरा के विधान/भागीदारों में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार हैं–

फर्म में दिनांक 01 अप्रैल, 2021 को पूर्व प्रथम पक्ष रेशमा यादव पुत्री श्री सरनाम सिंह यादव द्वितीय पक्ष श्रीमती सरला देवी पत्नी स्व0 अशोक कुमार तथा चतुर्थ पक्ष आस्था यादव पुत्री श्री ब्रिजेन्द्र सिंह यादव उक्त फर्म की साझेदारी से अपनी स्वेच्छा से अलग हो गये हैं तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2021 को श्री वीरेन्द्र कुमार पुत्र राम प्रकाश, श्रीमती रेखा पत्नी श्री दिनेश चन्द्र, श्री राकेश कुमार पुत्र श्री जुगेन्द्र सिंह, श्री रामवीर पुत्र श्री सुरजन सिंह, श्री दिनेश चन्द्र पुत्र श्री राम प्रकाश, श्रीमती हरिप्यारी देवी पत्नी श्री राम प्रकाश, श्रीमती उमा गुप्ता पत्नी श्री अनिल गुप्ता, श्री शशी कुमार यादव पुत्र श्री नत्थीलाल यादव, श्री योगेश मित्तल पुत्र श्री राम प्रकाश मित्तल तथा श्रीमती श्वेता मित्तल पत्नी श्री योगेश मित्तल नये भागीदारी के रूप में सम्मिलित हुये थे। जिसमें से दिनांक 31 मार्च, 2022 को श्रीमती रेखा पत्नी श्री दिनेश चन्द्र, श्रीमती हरिप्यारी देवी पत्नी श्री राम प्रकाश, श्रीमती उमा गुप्ता पत्नी श्री अनिल गुप्ता तथा श्री शशी कुमार यादव पुत्र श्री नत्थीलाल यादव उक्त फर्म की साझेदारी से अपनी स्वेच्छा से अलग हो गये हैं। अब फर्म श्रीमती नीरू यादव, श्री विनोद कुमार, श्री वीरेन्द्र कुमार, श्री राकेश कुमार, श्री रामवीर, श्री दिनेश चन्द्र, श्री योगेश मित्तल तथा श्रीमती श्वेता मित्तल ही भागीदार रह गये हैं।

विनोद कुमार,
भागीदार,
मे0 हाथरस इन्टरप्राईजेज,
21/131, धुलियागंज, आगरा।

सूचना

मैंने अपने पुत्र का नाम आयांश श्रीवास्तव (AAYANSH SRIVASTAVA) से बदलकर मेधांश श्रीवास्तव (MEDHANSH SRIVASTAVA) कर दिया है, जिसकी सूचना 07 फरवरी, 2023 के शपथ-पत्र में मेरे द्वारा दी गयी है। अभिषेक कुमार श्रीवास्तव पुत्र दिलीप कुमार श्रीवास्तव, बी-272 हि0ए0लि0 कोरवा, मुंशीगंज, अमेठी।

अभिषेक कुमार श्रीवास्तव।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 मो0 मुस्लिम भटहट, जनपद गोरखपुर, उ0प्र0 नामक फर्म में साझेदारी डीड दिनांक 01 जनवरी 2014 से मो0 मुस्लिम एवं कमाल अहमद जी साझेदार थे। यह कि उक्त फर्म कार्यालय सहायक निबंधक फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स गोरखपुर में पंजीकरण सं0 जी-3952 पर पंजीकृत है। यह कि उक्त फर्म के साझेदारी डीड दिनांक 01 अगस्त, 2020 से मो0 मुस्लिम जी अपना हक और हिस्सा लेकर रिटायर्ड हो चुके थे व जमाल अहमद जी उक्त फर्म में साझेदार के रूप में शामिल हुए हैं। यह कि दिनांक 05 अगस्त, 2020 को मो0 मुस्लिम जी मृतक हो चुके हैं, अब उक्त फर्म में क्रमशः कमाल अहमद एवं जमाल अहमद जी हैं। उक्त फर्म में किसी का कोई लेन-देन बकाया नहीं है।

कमाल अहमद,
साझेदार,
मे0 मो0 मुस्लिम भटहट,
जनपद गोरखपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 आशी हॉस्पिटल आर/ओ0–234 बी, ट्रांसफार्मर लेन के सामने, नहर रोड, दाउदपुर, गोरखपुर, उ0प्र0 नामक फर्म में साझेदारी डीड दिनांक 22 अप्रैल, 2019 से श्री अनिल

कुमार श्रीवास्तव एवं श्रीमती सुरभि श्रीवास्तव जी साझेदार थी। यह कि साझेदारी डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2022 को उक्त फर्म नाम आशी हॉस्पिटल मेटरनिटी एण्ड ट्रामा सेंटर से परिवर्तित कर आशी हॉस्पिटल किया गया है। यह कि साझेदारी डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से श्रीमती राधा देवी जी उक्त फर्म में साझेदार के रूप में शामिल हुयी हैं। अब उक्त फर्म में क्रमशः श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव व श्रीमती सुरभि श्रीवास्तव एवं श्रीमती राधा देवी जी हैं। उक्त फर्म में किसी का कोई लेन-देन बकाया नहीं है।

अनिल कुमार श्रीवास्तव,
साझेदार,
मे0 आशी हॉस्पिटल आर/ओ0,
ट्रासफार्मर लेन के सामने,
नहर रोड, दाउदपुर, गोरखपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 गोविन्द माधव, न्यू कालोनी, हवेलिया खास, निकट बड़ेवन बाईपास चौराहा पो0–गोधीनगर, जनपद–बस्ती पंजीकृत सं0 जी–3993 की साझेदारी डीड दिनांक 10 जून, 2016 से श्री संतोष पुत्र श्री गोविन्द माधव पाण्डेय एवं श्री गोविन्द माधव पाण्डेय पुत्र स्व0 उमाशंकर पाण्डेय साझेदार थे। यह कि साझेदारी विघटन डीड दिनांक 31 मार्च, 2019 से उक्त फर्म विघटित करते हुए आपसी सहमति से प्रथम भागीदार के द्वारा उक्त फर्म की सभी सम्पत्तियां एवं दायित्व (बैलेंस शीट दिनांक 31 मार्च, 2019 के अनुसार सम्पत्तियां एवं दायित्व रु0 5,94,66,877.00) को वहन करते हुए को फर्म मे0 गोविन्द माधव के नाम व व्यवसाय को प्रोपराइटरशिप में जारी करने हेतु फर्म को विघटित कर दिया गया। उक्त फर्म में किसी साझेदार को कोई लेन-देन बकाया नहीं है।

संतोष,
साझेदार,
मे0 गोविन्द माधव,
बस्ती।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पंजीकृत फर्म मे0 जी0 एस0 इण्टरप्राइजेज, 76 मीरापुर, प्रयागराज के भागीदार श्री जनमीत सिंह दिनांक 31 मार्च, 2019 को स्वेच्छापूर्वक अपनी भागीदारी समाप्त करते हुए फर्म से अलग हो गये हैं तथा श्रीमती कवलजीत कौर दिनांक 01 अप्रैल, 2019 को उक्त फर्म में बतौर साझीदार शामिल हो गयी हैं। फर्म से अलग हुये भागीदार जनमीत सिंह का फर्म से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का लेनदेन तथा दायित्व शेष नहीं है। अब फर्म में सभी भागीदारों का भागीदारी अनुपात क्रमशः हरप्रीत सिंह 51 प्रतिशत, सनप्रीत सिंह 10 प्रतिशत, जसप्रीत सिंह 20 प्रतिशत तथा कवलजीत कौर का 19 प्रतिशत होगा।

हरप्रीत सिंह,
भागीदार।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पंजीकृत फर्म मे0 राज कोल्ड स्टोरेज एण्ड आइस उद्योग, ग्राम–पाहड़पुर कोदन, सिराथू, कौशाम्बी के भागीदार मोहम्मद फारूक व श्रीमती सिद्दीका बानों दिनांक 31 मार्च, 2022 को स्वेच्छापूर्वक अपनी भागीदारी समाप्त करते हुए फर्म से अलग हो गये हैं, अब फर्म में फिरोज अहमद, जुलेखा बानों, मोहम्मद अयूब तथा मासूम अहमद कुल चार भागीदार हैं। जिनका भागीदारी अनुपात क्रमशः फिरोज अहमद 65 प्रतिशत, जुलेखा बानों 15 प्रतिशत, मोहम्मद अयूब 10 प्रतिशत तथा मासूम अहमद का 10 प्रतिशत होगा। फर्म से पृथक हुये भागीदार का उक्त फर्म से सम्बन्धित किसी भी प्रकार लेन-देन तथा दायित्व शेष नहीं है तथा न ही दिनांक 31 मार्च, 2022 के पश्चात् उक्त फर्म से सम्बन्धित विधिक अधिकार तथा दावा होगा।

फिरोज अहमद,
भागीदार।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम MOHAMMAD TARIQ KHAN त्रुटिवश अंकित है जबकि मेरा नाम MOHD. TARIQ KHAN S/O IRSHAD ALI KHAN, R/O H.NO. 2 सागर हाउसिंग कॉप्लेक्स 1, अनूपशहर रोड, अलीगढ़ है। भविष्य में मुझे सही नाम से जाना पहचाना जाये।

मोहम्मद तारिक खान।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शादी पूर्व में मेरा नाम अलमास था। अब शादी उपरान्त अलमास तारिक पत्नी श्री मौहम्मद तारिक खॉन, निवासी मकान

नं0 2 सागर हाउसिंग कॉप्लेक्स, 1 अनूप शहर रोड़, अलीगढ़ कर लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाये।

अलमास तारिक।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम Chand Mohammad Khan त्रुटिवश अंकित है जबकि मेरा नाम Chand Muhammad Khan S/o Babu Khan, R/o-4/651, A3(1), फैज स्ट्रीट फैज ए आम मस्जिद के पास, जमालपुर, कोल, अलीगढ़ है जोकि सही है। भविष्य में मुझे सही नाम से जाना पहचाना जाये।

चांद मोहम्मद खान।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम लल्लू सिंह है। मेरी पत्नी का नाम ज्ञान्ती देवी है। मेरी सर्विस पुस्तिका में गलती वश ज्ञान्ती कुमारी हो गया है, बाकी सारे कागजात में ज्ञान्ती देवी दर्ज है, जैसे मेरे फण्ड पेपर में स्वास्थ्य कार्ड में आधार व पैन में सभी में ज्ञान्ती देवी दर्ज है।

अतः मेरी पत्नी को ज्ञान्ती देवी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

लल्लू सिंह,
पता–ई0डी0 34डी,
ब्लाक, ए0डी0ए0, कालोनी,
नैनी, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कुशुम देवी पत्नी रामस्वरूप भारतीय है। मेरे आधार कार्ड संख्या 942417960376 में मुन्नी देवी नाम अंकित हो गया है, जो कि गलत है, जो मेरे घर का नाम है। भविष्य में मुझे कुशुम देवी पत्नी रामस्वरूप भारतीय के नाम से जाना पहचाना जाये।

कुशुम देवी,
निवासिनी ग्राम भगवानपुर कोटिया,
पो0 अमिरसा, थाना सरांय अकिल,
परगना व तहसील चायल, जनपद कौशाम्बी।

सूचना

मे0 शंकर भण्डारण गृह ग्राम चन्दुली पोस्ट तेंदु जनपद सोनभद्र उत्तर प्रदेश रजिस्टर फर्म सं0 2629/7-वी-12557 दिनांक 01 अगस्त, 2009 साझीदार फर्म है। जिसमें पूर्व में 3 पार्टनर हरिमोहन देवी, धर्मराज सिंह व रमेश कुमार सिंह है। आज दिनांक 14 फरवरी, 2023 से नये साझेदार के रूप में नागेन्द्र बहादुर सिंह, भूपेन्द्र सिंह, मिथिलेश देवी, कुसुम देवी, आरती सिंह, शैलेन्द्र सिंह, सुनील सिंह को सम्मिलित किया जा रहा है। जिससे उपरोक्त फर्म में 3 साझेदार पुराने व 7 साझेदार नये सहित कुल 10 साझेदार हो गये हैं।

धर्मराज सिंह,
मे0 शंकर भण्डारण गृह।

सूचना

मे0 सोनभद्र ट्रांसपोर्ट उत्तर मोहाल एट/पो0आ0 राबर्ट्सगंज, जिला सोनभद्र, उ0प्र0, रजिस्टर फर्म संख्या 5857/7-वी-10909 दिनांक 05 मार्च, 2016 साझेदार फर्म है। जिसमें 3 साझेदार नागेन्द्र बहादुर सिंह, कुसुम देवी व रतन कुमार सिंह हैं। आज दिनांक 18 फरवरी, 2023 से रतन कुमार सिंह उपरोक्त फर्म से स्वेच्छापूर्वक निकल रहे हैं एवं नये साझेदार के रूप में सुनील कुमार सिंह उपरोक्त फर्म में जुड़ रहे हैं।

नागेन्द्र बहादुर सिंह,
मे0 सोनभद्र ट्रांसपोर्ट,
साझेदार।

NOTICE

I Anjali Gautam W/o Mahendra Kumar Shukla, Address : 117 Gajjoo Purwfra Jajmau Kanpur, Uttar Pradesh has changed may Name from Anjali Gautam to Anjali, Henceforth, I shall be know as Anjali for all purpose.

Anjali Gautam.

पी0एस0यू0पी0–48 हिन्दी गजट–भाग 8–2023 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।